

[श्री: राम नरेश यादव]

कराई जाय । महोदय, एक बात और बहुत जरूरी है । जब इस तरह की स्थिति हमेशा पैदा होती रहती है तो सरकार को इसके लिये एक दीर्घकालीन योजना बनाकर इस सिल्क उद्योग को बढ़ाने की दिशा में विशेष ध्यान देना चाहिये ताकि जो हमारे बुनकर हैं, जो हमारे मजदूर हैं, जो इस कला में लगे हुये हैं और जिसके कारण देश का सम्मान और गौरव बढ़ता है इसकी रक्षा हो सके और लोगों के हाथों को काम मिलता रहे । इस बात को ध्यान में रखकर सरकार का ध्यान विशेष रूप से इस ओर जाना चाहिये, यही मेरी आपके माध्यम से सरकार से मांग है ।

श्री छोटभाई पटेल (गुजरात) : मैं इसका समर्थन करता हूँ । मैंने 11 तारीख को और कल भी वीवर्स के बारे में सदन में मामला उठाया था । इतना ही नहीं हैक्यान स्कीम जो है उसका बेनिफिट वीवर्स को नहीं मिल रहा है जो कि उनको मिलना चाहिये । इसलिये इसको पापुलराइज भी किया जाना चाहिये 40 काउंट यार्न जो है उसका प्रोडक्शन कम है । अगर इसका प्रोडक्शन नहीं होगा तो वीवर्स को इसका बेनिफिट नहीं मिल सकता है । मैं यह कहना चाहता हूँ कि मंत्री महोदय को आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, नार्थ-ईस्ट, यूपी०, बिहार, गुजरात और महाराष्ट्र में सभी जगहों का दौरा करना चाहिये और वीवर्स की समस्याओं को देखना चाहिये । इसकी रिपोर्ट अगले सेशन में प्रस्तुत करनी चाहिये तभी हम वीवर्स के बारे में कुछ कर सकेंगे ।

SHRI PRAGADA KOTAIAH (Andhra Pradesh): Sir, I associate myself with the observations made by the hon. Member, Shri Ram Naresh Yadav. Sir, the prices have increased by 100 per cent. Formerly, that is before the presentation of the Budget.. (Interruptions)

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR): There should be no debate. You associate yourself.

SHRI PRAGADA KOTAIAH: Formerly, the price of silk yarn was Rs. 300 per kg. Now, it is Rs. 600 per kg. Most of the silk looms have been thrown out of employment. In a similar situation in the past the Government had permitted the Central Silk Board to import 60 tonnes of silk yarn to feed the silk looms in the country. Though I am a member of the Central Silk Board and though, I have written to them to look into the matter, the Central Silk Board is not moving in the matter. I do not know the reason behind that. It is up to the Government to assess the requirement of the silk yarn for the silk handloom weavers in the country immediately and permit the Central Silk Board to import at least 500 to 600 tonnes of silk yarn so that it may be distributed among the handloom weavers. The other charges involved in distribution of silk yarn to handloom weavers should also be looked into. The import duty has to be subsidised by the Government for the benefit of the handloom weavers.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR): Now, we proceed with the Legislative Business. The Cancellation of General Elections in Punjab Bill, 1991, the Budget (Punjab), 1991-92 and the Punjab Appropriation (Vote on Account) No. 1 Bill, 1991, we propose to take them up together. (Interruptions). We are taking up all the three together. The subject is common and the Members can express their viewpoints. (Interruptions).

I. THE CANCELLATION OF GENERAL ELECTIONS IN PUNJAB BILL, 1991.

II. THE BUDGET (PUNJAB): 1991-92; AND

III. THE PUNJAB APPROPRIATION (VOTE ON ACCOUNT) No. 1 BILL, 1991.

THE MINISTER OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI K. VIJAYA BHASKARA REDDY): Sir I beg to move:

"That the Bill to cancel certain notifications calling for general elections in relation to the State of Punjab, as passed by the Lok Sabha, be taken into consideration."

The hon. Members are aware that elections to the Tenth Lok Sabha and certain State Assemblies were announced in April last. The Election Commission, however, after taking into account all relevant factors and the prevailing circumstances in the State of Punjab and having been satisfied that it was not possible to hold free and fair elections in that State on the scheduled date, extended the date of polls twice, first from the original date of 20th May, 1991 to 2nd June, 1991 and then to 25th September, 1991. After the announcement of elections, large scale killings and massacre of innocent people have taken place. Twenty-six contesting candidates have been killed necessitating the countermanding of elections in various constituencies in the State. Because of postponement of elections, protracted security arrangements for the safety of candidates contesting the elections have become imperative. It has become extremely difficult to make such arrangements for a long period, deploying paramilitary forces, who are already under great strain as they had been sent to the other States after they had completed strenuous election duties in some other States.

In view of all the aforesaid circumstances and the difficulties and also to guard against further loss of lives of the candidates and the other innocent persons, it has become necessary to cancel the notification calling for general elections in the State of Punjab for the present. The elections shall be held as soon as congenial atmosphere is created for holding free and fair elections in Punjab. The situation in Punjab is still not conducive for holding free and fair elections in the State and the Government has been forced to take the extreme step of cancellation of elections in Punjab. The Government, however, has considered it

proper not to assume sweeping powers to cancel an election by making amendments to the statute as giving such sweeping powers in fraught with grave dangers and may be misused. On the other hand, the Government has brought this Bill as a no-time measure to cancel elections only in the State of Punjab. In view of the extraordinary situation existing there, it is my earnest hope that the Bill will have the unanimous support of all sections of the House.

Sir, I commend the Bill, as passed by the Lok Sabha, for consideration of the House.

SHRI SATYA PRAKASH MALAVIYA (Uttar Pradesh): I am on a point of order....

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR): What is your objection, Mr. Malaviya?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय : उपसभाध्यक्ष जी, आज तक कभी भी किसी चुनाव की विजति को निरस्त करने के लिये संसद ने कानून नहीं बनाया है। यह जो विधेयक लाया जा रहा है केवल एक पार्टी विशेष के लाभ के लिये लाया जा रहा है।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR): What is your legal objection?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय : यही लोगल आब्जेक्शन है। अगर किसी एक पार्टी के लाभ के लिये कोई कानून बनाया जायेगा तो उस कानून पर यह सदन विचार नहीं कर सकता है यह मेरा कहना है, क्योंकि जब चुनाव की विजति हुई थी तो कांग्रेस पार्टी ने उस चुनाव से बहिष्कार किया था, एक भी नामांकन अपना दाखिल नहीं किया था और चूँकि एक भी नामांकन वहाँ दाखिल नहीं है इसलिये चुनाव को टालने के लिये कानून लाया जा रहा है। यह कानून काला कानून है और संविधान विरोधी कानून है। इसलिये मेरा आग्रह है कि इस कारण इस सदन को इस पर विचार नहीं करना चाहिये।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR):
No, no you are speaking on merits.

श्री सत्य प्रकाश मलवीय : महोदय .

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR):
Your name is there. There is no preliminary objection. You have said you have got an objection to the Motion being moved. That is what I wanted to listen... *(Interruptions)*...

SHRI KAMAL MORARKA (Rajasthan): Sir, I have got a point of order.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR):
What is it?

SHRI KAMAL MORARKA: Sir, there are two things objectionable in the statement made by the Minister because any Minister reading a statement has to be factually correct. The Minister has said, "The elections in Punjab were postponed because the Election Commission came to the conclusion that the conditions were not ripe for elections." Sir, this statement is not correct because till 20th June, when Mr. Chandra Shekhar was the Prime Minister of India, the Election Commission had said, "Every thing is all right." The Chief Election Commissioner had made a public statement...
(Interruptions)

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR):
Mr. Morarka, let us understand the procedure. ... *(Interruptions)* ... Mr. Narayanasamy, please sit down.

SHRI V. NARAYANASAMY (Pondicherry): The Election Commission said, "The situation is not conducive."

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR):
No discussion on the Bill. ... *(Interruptions)* ... We are in a preliminary stage.

SHRI KAMAL MORARKA: Sir, what I want to say is that the Election Commission can't change this situation in

such a short time. ... *(Interruptions)* ...
The Election Commission cannot change the position within twenty-four hours. ... *(Interruptions)* ...

SHRI V. NARAYANASAMY: Sir, I am on a point of order.

... *(Interruptions)* ...

SHRI SATYA PRAKASH MALAVIYA): Who are you to decide it? Are you presiding over it? Why are you helping him?

SHRI V. NARAYANASAMY: It is not his own decision. ... *(Interruptions)* ...

SHRI SATYA PRAKASH MALAVIYA: He has been giving so many rulings. ... *(Interruptions)* ...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR):
Mr. Narayanasamy, no arguments. Let us go ahead with the business.

SHRI KAMAL MORARKA: Sir, my second point of order is...

SHRI K. VIJAYA BHASKARA REDDY: Sir, how many points of order does he want to make?

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR):
They are objecting to it.

SHRI KAMAL MORARKA: Sir, the Parliament is not competent to legislate what the hon. Minister has said because these changes are in the basic structure of the Constitution. Elections were notified. If the party in power by majority can rescind, they will never hold elections. This is a totally wrong precedent. If it is challenged in the court, it will be struck down. Of course, Punjab is very sensitive.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR):
How do you know that the courts will strike it down?

SHRI KAMAL MORARKA: Sir, it is beyond the Constitution. (*Interruption*)

SHRI MENTAY PADMANABHAM
(Andhra Pradesh): It is unconstitutional.
... (Interruptions) ...

श्री हरबेन्द्र सिंह हंसपाल (पंजाब) :
हमारे मोरारका जी ने कहा...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR): Are you also objecting? Mr. Hanspal, I am listening to objections for introduction. He will take care of it.

श्री हरबेन्द्र सिंह हंसपाल : उन्होंने फैक्चुअली कुछ रांग कहा है। उन्होंने कहा है कि 20 तारीख को चन्द्रशेखर जी प्रधान मंत्री थे। ये भूल गये कि 21 तारीख को ये भी मंत्री थे और चन्द्रशेखर जी भी प्रधानमंत्री थे।

उपप्राध्यापक (श्री भास्कर अन्ताजी मासोदकर) : वे कभी नहीं भूल पाते हैं। आप बैठ जाइये।

श्री हरवेन्द्र सिंह हंसपाल : तो आपके टाइम में ये हुआ... (व्यवधान)

श्री कमल मोरारका : वही तो मैं कह रहा हूँ... (व्यवधान)

SHRI M. S. GURUPADASWAMY (Uttar Pradesh): Sir, not only the Government should be true, but it should also appear to be true.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR): I don't think there is any point of order.

SHRI M. S. GURUPADASWAMY:
Sir, in this case it is a partisan decision
of the Congress Party.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR): This is a Government decision. This is not a party decision. . . . (Interruptions) . . .

SHRI M. S. GURUPADASWAMY:
It has vitiated the election process itself.

SHRI KAMAL MORARKA: Sir, I want to keep the record straight. (*Interruptions*)... Mr. Hanspal said that the election was postponed during Chandra Shekhar Government when I was there. (*Interruptions*)...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR): Please sit down. There is no point of order. (*Interruptions*)...

SHRI KAMAL MORARKA: We have not postponed the elections. Chandra Shekhar Government refused to postpone the elections. I would like that to go on record. *(Interruptions)*... The election was postponed in spite of the Prime Minister saying "No". Who has to permit the postponement of election according to the Constitution is a different matter. The then Prime Minister of India had refused to postpone the elections in Punjab. *(Interruptions)*... This must go on record. *(Interruptions)*...

श्री जगदीश प्रसाद माथुर (उत्तर प्रदेश) : श्रीमन्, मैं इसका विरोध करता हूँ, कारण यह कि यह अनियमित है।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR): Are you objecting to the motion itself?

श्री जगदीश प्रसाद माथुर : यस, यह अनिश्चित है। यद्यपि इसको लोक सभा ने पास कर दिया है लेकिन राज्य सभा को अधिकार है कि वह इसको वापस कर दे। तो मेरी मांग है कि इसको वापस किया जाना चाहिये। इसके दो कारण हैं। एक, आज तक संविधान में कहीं ऐसी व्यवस्था नहीं थी कि एक बार चुनाव घोषित हो जाए, नामीनेशन हो जाय और इसको रद्द किया जाय। राष्ट्रपति इलैक्शन की घोषणा करते हैं, राष्ट्रपति को ही यह अधिकार होना चाहिये कि उसको कैंसिल करें। लेकिन

[श्री जगदीश प्रसाद माथुर]

यह राष्ट्रपति के अधिकार के ऊपर एक कानून लाया जा रहा है। लोक सभा को राष्ट्रपति के ऊपर यह अधिकार नहीं होना चाहिये। नम्बर दो, इसके उद्देश्य भी ठीक नहीं हैं। जब चुनाव की घोषणा हुई थी तो कांग्रेस पार्टी ने उसका बहिष्कार किया था। अब उनको लग रहा है कि हमने गलती की है। कांग्रेस पार्टी स्वयं अपने आपको चुनाव में दाखिल करने के लिये रास्ता निकाल रही है। तो मैं इसका घोर विरोध करता हूँ। इसलिये मेरा मत है कि इसको रद्द किया जाना चाहिये।

SHRI K. VIJAYA BHASKARA REDDY: What are they objecting to here? It is already introduced. (Interruptions)

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR): There is no point of order. Now, the Budget. (Interruptions)...

SHRI MADAN BHATIA (Nominated): He says "the President has the power to prevent the Parliament from making any law." (Interruptions)...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR): There is no point of order. (Interruptions)...

SHRI MADAN BHATIA: He says "the Constitution is running amuck. The President has got the power to prevent the Parliament from making any law." (Interruptions)...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR): There is no point of order. I have already ruled. (Interruptions)...

SHRI KAMAL MORARKA: I don't want to learn the Constitution of India from Mr. Madan Bhatia. (Interruptions).....

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR): Let us not go into individuals. (Interruptions)...

SHRI MADAN BHATIA: I certainly do not wish to learn the Constitution from Mr. Kamal Morarka. He knows nothing about the Constitution. This is his knowledge and understanding about the Constitution. (Interruptions)...so that it will be published in the newspapers. (Interruptions)...

उपसभाध्यक्ष (श्री भास्कर अन्नाजी मासोदकर): भाटिया जी, बैठ जाइये।

SHRI KAMAL MORARKA: Sir, they don't publish whatever I say here. Mr. Madan Bhatia knows nothing of the law. (Interruptions)...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR): What is your objection?

SHRI SHANKAR DAYAL SINGH (Bihar): My partners here have already opposed the motion moved by the hon. Minister regarding the Cancellation of General Elections in Punjab, 1991.

महोदय, मैं कहना चाहता हूँ कि कोई भी जनतंत्र देश और वह देश जो कि संविधान के आधार पर चलता है, कभी भी इस तरह के प्रस्ताव को मंजूरी नहीं दे सकता, सहमति नहीं दे सकता है। सरकार ने यह जो प्रस्ताव लाया है जो इन्होंने मूव किया है, मूव के स्टेज में ही हम इसका विरोध करते हैं और साथ-साथ मंत्री महोदय को कहते हैं कि अगर जनतंत्र के प्रति थोड़ी-सी भी आस्था उनके अन्दर है तो इसको इन्हें वापस ले लेना चाहिये। बजट और एप्रोप्रिएशन बिल हम पास करने के लिये तैयार हैं। यह हम कहना चाहते हैं।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR): I don't think there is any point of order. The Government is entitled to move any legislation. You can debate. If you can, you can defeat the Bill. Shri Shanataram Potdukhe.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI SHANTARAM POTDUKHE): Sir, I beg to move:

"That the Bill to provide for the withdrawal of certain sums from and out of the Consolidated Fund of the State of Punjab for the services of a part of the financial year 1991-92, as passed by the Lok Sabha, be taken into consideration."

Sir, this Bill arises out of a sum of Rs. 4356.51 crores voted by the Lok Sabha on the 16th September, 1991 and Rs. 1218.38 crores charged on the Consolidated Fund of the State of Punjab as shown in the Vote-on-Account pamphlet circulated along with the Budget Papers on 26th August, 1991. These amounts, inclusive of the amounts authorised for withdrawal under the Punjab Appropriation (Vote-on-Account) Act, 1991, have been sought to enable the Government of Punjab to meet the essential expenditure during first nine months of the current financial year, from April to December 1991, pending approval of the whole year's Budget by the appropriate legislature. Full details of these provisions are given in the Vote-on-Account pamphlet.

Sir, I move.

The questions were proposed.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR): Now the Cancellation of General Elections in Punjab Bill, 1991 and the Punjab Appropriation (Vote on Account) No. 2 Bill, 1991.

SHRI SHANKAR DAYAL SINGH: इसको अलग-अलग रखना चाहिये।

We have already submitted that we are not opposed to your passing the Punjab Appropriation Bill. But we are opposing the consideration of the Cancellation of General Elections Bill.

SHRI KAMAL MORARKA: Vote should be taken separately.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR): Voting will be separate. If you are agreeable, we can pass the Punjab Appropriation Bill without discussion and then have voting for the Cancellation of General Elections in Punjab Bill.

SHRI K. VIJAYA BHASKARA REDDY: We have no objection.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR): I thought the House was agreeable that we should discuss them together. Voting will be separate.

श्री जगदीश प्रसाद माथुर : इंट्रोडक्शन के समय भी सहमति अलग-अलग लेनी चाहिये।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR): Introduction has been done. You have been heard separately.

श्री जगदीश प्रसाद माथुर : हाउस की सहमति तो लेनी चाहिये ... (व्यवधान) ...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR): On the Cancellation the motion has already been moved.

SHRI VIREN J. SHAH (Maharashtra): We want to oppose the introduction.

श्री जगदीश प्रसाद माथुर : उपाध्यक्ष जी, इंट्रोडक्शन के समय भी हाउस की सहमति तो लेनी चाहिये। आपने हाउस की सहमति कहाँ ली?

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR): नहीं-नहीं माथुर जी, आप चुन नहीं रहे हैं, आपने पाइंट ऑफ ऑर्डर रोज किया।

[Shri Bhaskar Annaji Masodkar]

You have not asked for vote or anything. You just rose on a point of order which I have overruled. Now the motion is before the House for discussion. We will go through it.

SHRI VIREN J. SHAH: But the motion for introduction of the Bill has to be put to vote. At introduction stage we want to oppose. It has to be put to vote.

SHRI KAMAL MORARKA: Has the House granted leave for introducing the Bill?

SHRI VIREN J. SHAH: That motion has to be voted.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR): As I heard you, these were all points of order. I understood you that you were on points of order after the introduction of the Bill. I heard you and said there was no point of order. It has been overruled. Now we are going to have the discussion.

SHRI VIREN J. SHAH: We want to oppose the introduction of the Bill. It is no longer a point of order.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR): That stage is over. Let us consider the Bill and you can vote on it.

SHRI JAGDISH PRASAD MATHUR: For introduction of the Bill the consent of the House has to be taken.

SHRI VIREN J. SHAH: The leave of the House has not been given for introduction.

SHRI KAMAL MORARKA: You did not take the leave of the House.

SHRI G. G. SWELL (Meghalaya): Either you take the sense of the House or there has to be voting.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR): That is not the position. I have told you again and again I understood that there

was a point of order. As far as the motion is concerned, the motion is before the House as passed by the Lok Sabha. And we have to take it into account. You can vote it after it is discussed.

Therefore, now the Cancellation of General Elections in Punjab Bill, 1991 and the Punjab Appropriation (Vote on Account) No. 2 Bill, 1991 are open for discussion.

श्री शंकर दशाल सिंह : उपाध्यक्ष जी, आज हमारे समने पंजाब सधारण निर्वाचन रद्दकरण विधेयक, 1991 और उसके साथ-साथ विनियोग बिल और पंजाब बजट, 1991 प्रस्तुत है, जिस पर हमें चर्चा करनी है। बहुत ही दुख के साथ सबसे पहले मैं यह कह दूँ कि यह जो चुनाव रद्द करने के संबंध में सरकार की ओर से प्रस्ताव आया है, इसे मैं जनतंत्र विरोधी मानता हूँ, लोकतंत्र विरोधी मानता हूँ। कोई भी सरकार राष्ट्रपति शासन के द्वारा नहीं चल सकती है। लोकप्रिय सरकार के लिए वहाँ चुनाव कराना जायज है। कल ही इसी सदन में जब गृहमंत्री महोदय असम में सेना भेजने संबंधी चर्चा कर रहे थे तो उस समय यह चर्चा चली थी कि कहीं भी अगर लोकप्रिय सरकार कायम हो जाती है और यदि वहाँ विधि-व्यवस्था खराब रहती है तो निश्चय ही सरकार सेना भेजती है या दूसरे उपाय करती है, लेकिन जनतंत्र का इस तरह से गला नहीं घोटती है। इसलिए मैं यह कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से, कि यह चुनाव रद्द कराने का जो विधेयक हमारे समने आया है, यह जनतंत्र विरोधी है। सरकार को इस पर विचार करना चाहिए। और तुरन्त चुनाव तिथि की घोषणा सरकार को करनी चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, कल ही जब एक माननीय सदस्य ने कहा कि क्या आप 2000 साल में चुनाव कराएँगे तो गृहमंत्री महोदय ने इसी सदन में कहा था कि नहीं, कुछ महीनों के अंदर चुनाव कराएँगे जब सरकार यह निश्चय कर रही है कि कुछ महीनों के अंदर पंजाब में वह चुनाव कराएँगी, तो मैं चाहूँगा कि उसके

लिए आज ही तिथि निश्चित करनी चाहिए और इसकी घोषणा करनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि इससे सरकार की साख भी बनेगी और जनतंत्र के लिए यह एक अच्छी बात भी होगी।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं गुरु गोविंद सिंह जी की भूमि से आता हूँ। गुरु नानक देव जी ने मानवता की जो सीख दी और राष्ट्रीय अखण्डता की जो पहचान बनाई, अमृतसर स्वर्णमंदिर का कलश आज भी उस सीख को पूरे देश में, पूरी दुनिया में फैलाकर एक प्रकाश-पुंज बिखेर रहा है। वही मानवता का प्रकाश पुंज अमृतसर से चलकर पटना-साहिब में पहुँचा और गुरु गोविंद सिंह जी ने उस भगाल को अपने हाथों में बाँधा। दसवें गुरु गोविंद सिंह जी ने जो राष्ट्रीय एकता और राष्ट्रीय चेतना का संदेश दिया, उस संदेश के अंतर्गत हम लोग पसे, बड़े हुए और उसी धरती से मैं आता हूँ। इसलिए मैं अपना एक लक्ष्यता हूँ।

महोदय, आज पंजाब की हानत क्या है? पंजाब में शांति और अमन-बैन नहीं है। इसकी जिम्मेदारी किसकी है? पंजाब में जिस तरह से हत्याएं हो रही हैं, क्या सरकार ने कभी उसकी गिनती की? मैं बहुत दूर नहीं जाना चाहता केवल मैं इस महीने, सितम्बर, 1991 की पहली तारीख से सप्ताह तारीख तक अखबारों में जो हत्याओं का जिक्र आया है, उसे आपके सामने रखना चाहता हूँ, माननीय सदन के सामने रखना चाहता हूँ अखबारों के द्वारा, विभिन्न अखबारों में यह रिपोर्टें हैं कि कितनी हत्याएं हुईं—

- 1 सितम्बर को 11 लोग मारे गए,
- 2 सितम्बर को 12 लोग मारे गए,
- 3 सितम्बर को 19 लोग मारे गए,
- 4 सितम्बर को 23 लोग मारे गए,
- 5 सितम्बर को 22 लोग मारे गए,
- 6 सितम्बर को 20 लोग मारे गए,
- 7 सितम्बर को 22 लोग मारे गए,
- 8 सितम्बर को 8 लोग मारे गए,
- 9 सितम्बर को 23 लोग मारे गए,
- 10 सितम्बर को 14 लोग मारे गए,
- 11 सितम्बर को 15 लोग मारे गए,

12 सितम्बर को 20 लोग मारे गए,
13 सितम्बर को 27 लोग मारे गए,
14 सितम्बर को 5 लोग मारे गए,
15 सितम्बर को 21 लोगों की हत्याएं हुईं, 16 सितम्बर को 15 लोगों की हत्याएं हुईं और आज यानी 17 सितम्बर को, जिस दिन हम चर्चा कर रहे हैं, आज के अखबारों में आया है कि 26 लोग मारे गए हैं, 13 खाड़कुओं समेत 26 लोग मारे गए हैं, यह आज का अखबार कहता है। अब जरा इसको डोटल करके देखिए कि कितने हुए? यह हुए 303 पानी प्रति महीने 500, 700 निरपराध लोगों की हत्याएं पंजाब में हो रही हैं। अगर आप इसको जोड़ बीजिए तो साल में छह हजार, सात हजार पाठ हजार, नौ हजार, दस हजार लोग मारे जा रहे हैं। यह तो अखबारों में रिपोर्टें हैं, जिसको कि सरकार ने कबूल किया है कि इतने लोगों की हत्याएं हो रही हैं।

महोदय, मैं ज्यादा इन्फोर्मेड होकर के कुछ बात नहीं कहना चाहता। मैंने यह तो अखबार का कहा है और सरकारी सूत्रों ने क्या कहा है, यह भी मैं कल या परसों के अखबार के माध्यम से नहीं बल्कि आज के ही अखबार से कहना चाहता हूँ। सरकारी माध्यम के अनुसार, सुरक्षा बलों के सूत्रों के अनुसार इस वर्ष जुलाई में पारंग किये गये विक्षेप अभियान में अब तक 209 खाड़कु मारे गए हैं। इनमें से 141 अमृतसर में, 32 गुरुदासपुर में, 36 फिरोजपुर जिले में मारे गए।

उपसभाध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सरकार से यह कहना चाहता हूँ कि आखिर यह स्थिति क्यों पैदा हुई? क्या हमारे नए मंत्री महोदय ने राजीव-लोगोवाल संधि को फिर से पढ़ा है, देखा है? वे एक बार राजीव-लोगोवाल संधि को फिर से देखने की कोशिश करें। 24 जुलाई, 1985 को यह पंजाब समझौता तृथा या संत लोगोवाल और श्री राजीव गांधी में और 24 जुलाई के इस समझौते में कहा गया था कि मारे गए निर्दोष लोगों को मुआवजा सरकार देगी। देश के सभी नागरिकों

[श्री शंकर दयाल सिंह]

के समान यहाँ के लोगों की सेना में भर्ती का सिलसिला जारी रखेंगे। नवम्बर, 1984 की घटनाओं की निष्पत्ति जोच होगा। सेना से बर्खास्त किए गए सैनिकों की पुनः बहाली की जाएगी। प्रखिल भारतीय गुरुद्वारा अधिनियम बनाया जाएगा। विचाराधीन मामलों का निपटारा किया जाएगा। और जो वो बड़ी बातें थीं उसके अंदर—एक वो चंडीगढ़ के संबंध में और दूसरी पानी के बंटवारे के संबंध में। उप-रामाध्यक्ष जी, चाहे वह गलत हो या सही हो, लेकिन पट्ट फेंसला हुआ था और जिस पर संत लॉगोवाल और भारत के तत्कालीन प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी ने हस्ताक्षर किए थे और पाना था कि चंडीगढ़ इस संधि के अंतर्गत पंजाब को दिया जाएगा और पंजाब के वे हिस्से जो हिन्दी भाषा भाषी हैं, वे हरियाणा में मिलाए जाएंगे, अगर किसी देश का प्रधान मंत्री किसी संधि पर हस्ताक्षर करता है और वह संधि-पत्र रद्दी की ठोकरों में डाल दिया जाता है।

[उपसभाध्यक्ष (श्री एम०ए० बेबी)
गौतमीन हुये]

मैं समझता हूँ कि देश के इतिहास में सबसे बड़ी कलंक की बात कोई दूसरी नहीं हो सकती। इसलिए मैं वहीं से कहना चाहता हूँ सरकार से कि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? शुरुआत हुई कि तत्कालीन प्रधान मंत्री और संत लॉगोवाल के बीच जो संधि हुई थी, उसका पालन सरकार ने ईमानदारी से नहीं किया। यदि सरकार ने उस संधि का ईमानदारी से पालन किया होता तो मैं समझता हूँ कि सिखों को वह तकलीफ नहीं होती, जो आज उनको है। जो सिख भाइयों के कलेजे में एक एक जन्म है, जो एक दर्द है उनके कलेजे में और जो हूक उठती है रह-रहकर, वह इसलिए उठती है कि भारत सरकार और केन्द्रीय सरकार ने वास्तविकता को समझने की कोशिश नहीं की। उपाध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले भी 16-17 अक्टूबर, 1973 को जो आनन्दपुर साहब में बैठक हुई थी शिरोमणी अकादमी दल कार्यकारिणी

की, उसके प्रस्ताव की ओर जाना चाहता हूँ। क्योंकि बार-बार हम आनन्दपुर प्रस्ताव की बात कहते हैं और प्रमाण स्वरूप उसका जिक्र करते हैं। लेकिन शायद गंभीरता के साथ आनन्दपुर साहब प्रस्ताव को भी सरकार ने नहीं देखा। उसमें क्या था? उस प्रस्ताव में गुरु में ही लिखा हुआ था कि “शिरोमणी अकादमी दल राष्ट्र की आशाओं और आकांक्षाओं के संबंध में, जो गुरु नानक देव जी के तीन सिद्धांत या अभिधारणाएँ हैं, उन पर विश्वास करता है—भगवान के नाम में ध्यान, श्रम की गरिमा और श्रम के फल में हिस्सा। नाम जपो, किरत करो और बंड छको।” इसकी ओर कभी गंभीरता से ध्यान नहीं दिया गया। ... (ध्वजध्वनि)...

श्री सुरेन्द्रजीत सिंह ग्रहलुवालिया
(विहार): पहला पैराग्राफ क्यों नहीं पढ़ा आपने? उसे पढ़ लीजिए।

श्री शंकर दयाल सिंह: मैं कुछ तो आपके लिए छोड़ रहा हूँ इसलिए कि आप भी तो हमारी उसी भूमि के भाई हैं जो यहाँ जाते हैं, पूरा कर दीजिए। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ, उपसभाध्यक्ष जी, कि इस सरकार ने क्या किया?

श्री हरबेश सिंह हंसपाल: आनन्दपुर साहब प्रस्ताव उस वक्त क्यों नहीं पढ़ा जब आपकी सरकार थी?

श्रीलाला शोबंदुल्ला खान आज़मो
(उत्तर प्रदेश): अब तो पढ़ा जा रहा है, अब सीधा कर दीजिए उसको।

श्री शंकर दयाल सिंह: मैं आपके नाध्यक्ष से कहना चाहता हूँ कि आपकी नई सरकार आई—श्री पी०वी० नरसिंह राव जी की सरकार बनी, जिसके माननीय मंत्री यहाँ पर बैठे हुए हैं। इस सरकार का सबसे पहला काम क्या हुआ? यह सरकार जिस दिन गठित हुई, जिस दिन प्रधान मंत्री जी ने कपड़ पहन की, उससे एक दिन पहले वह

सरकार ने निर्णय किया कि पंजाब में जो चन्द्रशेखर सरकार ने चुनाव कराने की घोषणा की थी, वहां पर लोकतंत्र को बहाली का जो संकल्प लिया था, 1.00 P.M. इस सरकार ने शपथ ग्रहण के पहले यह निर्णय लिया कि पंजाब में चुनाव रद्द कर दिया जाये। सबसे पहला काम इस सरकार का जनतंत्र विरोधी कार्य हुआ, यह हुआ कि जो लोकतंत्रीय चुनी हुई सरकार आने वाली थी वह सरकार नहीं आयी। उसी समय से यह दरवाजा बंद है और दरवाजा इस तरह से बंद है कि आज आपको चुनाव रद्द करने का प्रस्ताव सदन के सामने लाना पड़ा है। मंत्री जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आप हमारे सामने यह प्रस्ताव लाये हैं, जो कि विधिवेत्ताओं ने बड़े ही कायदे से लिखा होगा—

The Cancellation of General Election in Punjab Bill, 1991.

मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि यह बिना तो आप ले आये। इसके साथ-साथ अगर आपकी एक वरिष्ठ इसमें होती कि फलों तरीक़ को यह चुनाव कराये जायेंगे तो मैं उसका हार्दिक स्वागत करता। ठीक है, विपरीत परिस्थितियां हो सकती हैं। कश्मीर में विपरीत परिस्थितियां हैं, पंजाब में भी हैं, आसाम में भी हैं, देश के अन्य हिस्सों में भी हैं, लेकिन उससे जनतंत्र का गला तो नहीं घोंटा जाता है। हम एक संविधान की मर्यादा को भूल तो नहीं जाते हैं। आखिर वहां पर जो एक पोलिटिकल मूवमेंट होता, उसको तो आपने बंद कर दिया। आज अगर चुने हुये प्रतिनिधि आते, जैसे आसाम के कुछ चुने हुये भाई जो आये हैं, उनकी बातें कह सकते थे, उनके दुख-दर्द को सहला सकते थे। परन्तु आप दरवाजे बंद करते चले जा रहे हैं। इसलिये मैं सरकार से कहना चाहता हूं और बड़े अदब के साथ कहना चाहता हूं कि जिस तरह से आप कैंसिलेशन के बारे में यह विधेयक लाये हैं उसी तरह से आप चुनाव प्रोग्राम की भी घोषणा कर दीजिये। पिछली बार तो जो मुख्य चुनाव अधिकारी—जेन साहब थे, उनका भी बहुत नाम धाया था, आज तो खुशी की बात है कि जिस दिन हम इस पर चर्चा कर

रहे हैं, रमा देवी जी नयी चुनाव कमिशन आ गयी हैं, तो उसके साथ-साथ नये चुनाव की तिथियों की घोषणा भी हो सकती थी। मैं इस बात को समझता हूं। इसलिये मैं सरकार से बहुत ही अदब के साथ दो-चार बातें और उसमें करना चाहूंगा। जहां तक बजट और एप्रोप्रिएशन बिल की बात है, बजट और एप्रोप्रिएशन बिल के संबंध में मैं विस्तार में नहीं जा पा रहा हूं। ठीक है कि प्रशासनिक कार्यों को रोकने के लिये आपको उसकी जरूरत पड़ती है, हम उसको सपोर्ट करते हैं। लेकिन चार बातें आप याद रखिये, जो मैं आपको के सामने रख रहा हूं:

पहली बात तो यह है कि आप चुनाव तिथि की घोषणा आज करें।

दूसरी बात यह है कि चाहे वो महीना, तीन महीना, चार महीना के लिये आप इसे टाल रहे होंगे, पहले लोक सभा और राज्य सभा दोनों को मिलाकर पार्लियामेंट में मेम्बर्स की एक कमेटी बनती थी जहां भी राष्ट्रपति शासन होता था। आप पहले देख लीजिये, मैं आपसे कहूंगा कि अविध्वंस्य वह एक कमेटी बननी चाहिये।

तीसरी बात यह कहना चाहूंगा कि आपने इसका प्रोविजन कैंसिलेशन में दिया है कि जिन लोगों की जमानत राशि—सिक्योरिटी मनी जमा थी, वह उनको आप वापस करिये आप जमानत की राशि तो वापस कर देंगे लेकिन जिन लोगों की जानें चली गयी हैं उनको आप कैसे वापस करेंगे? मैं जानना चाहता हूं कि उस चुनाव के नाम पर, उस चुनाव में जो कैंडीडेट खड़े थे और जिन्होंने अपना नामिनेशन दाखिल किया था, बहुत से लोगों को जानें चली गयी हैं, आपके पास फिगरस होंगी कि कितने ऐसे लोग हैं जो मारे गये हैं। मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि उन लोगों को उचित मुआवजा देना आपका कर्तव्य है। कैंसिलेशन के लिये जो बिल हमारे सामने आया है इस पर सिखा रहना चाहिये था कि हम एक और जमानत की राशि वापस करेंगे और दूसरी और जिस लोगों की उम्मीदवारों के रूप में जानें बची है, उनको भी हम उचित मुआवजा देंगे। उपसभाध्यक्ष जी, आप पन्जी तरह से

[श्री शंकर दयाल सिंह]

जानते हैं कि अभी सोवियत संघ में इतना बड़ा बवंडर, भूचाल आया, बहुत बड़ी क्रांति आयी और पूरे दौर में केवल तीन लोग मारे गये, तीन हत्याएँ हुई और उसके जवाब में तीन लोगों ने आत्महत्याएँ कीं। लेकिन आपके पंजाब में क्या हो रहा है? कोई दिन ऐसा नहीं जाता है कि जिस दिन कि पंजाब में कभी बड़ा पुलिस अधिकारी नहीं मारा जाता है, कोई बड़ा बुद्धिजीवी नहीं मारा जाता है, बिहार का जो बेचारा गरीब मजदूर वहाँ खेतों में काम करने के लिये गया है वह नहीं मारा जाता है। वहाँ बेबस, मजबूर जोश, निर्पराध लोग मारे जाते हैं, बेचारे सिख मारे जा रहे हैं, दूसरे लोग मारे जा रहे हैं आतंकवादी किसी की जाति नहीं देखता है, किसी का धर्म नहीं देखता है, आतंकवादी केवल आतंक फैलाना जानता है और यह आतंक आप समाप्त कर सकते हैं। यह आतंक आप समाप्त कर सकते हैं और आतंक समाप्त करने का सबसे बड़ा तरीका यही है कि वहाँ चुनी हुई लोकप्रिय सरकार आए। जो सरकार आएगी उसका जनता के साथ सीधा संबंध रहेगा और जनता के दुःख-दर्दों को वह सामने रख सकेगी। आप उससे भागते क्यों हैं, यह मैं आपसे जानना चाहता हूँ। जैसा मैंने प्रारंभ में जिक्र किया और आज के अखबारों का मैंने आपके सामने हवाला दिया और मैंने एक फ़िरर आपके सामने रखी, उसकी ओर आपका ध्यान आकर्षित करते हुए एक बात और मैं कहना चाहूँगा और वह यह है कि जो अखबारों से हमको पब्लिक मालूम होता है, उससे ऐसा लगता है कि वहाँ प्रशासन में भी बहुत डिमोरेलाइजेशन हो रहा है। जो बेचारे आपके सरकारी कर्मचारी चाहे वे पुलिस में हों या दूसरे अधिकारी हों, जो अपने कर्तव्य की पूर्ति करते हैं और मारे जाते हैं, एक तो उनकी रक्षा का कोई उपाय नहीं है और दूसरा उनके परिवार वालों के लिए भी आपके यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है कि उनको क्या मुआवजा दिया जाएगा, उनके भरण-पोषण की क्या व्यवस्था रहेगी। कोई भी सरकार इस तरह से नहीं चल सकती है।

आज सीधा दायित्व आपका है। केन्द्र का दायित्व है। वहाँ आज चुनी हुई सरकार नहीं

है। अगर वहाँ चुनी हुई सरकार रहती तो आपके सामने एक बहाना था कि वहाँ तो प्रांतीय सरकार है और हम उसके कार्यकलापों में इंटरफ़ियर नहीं करेंगे लेकिन आज तो केन्द्र को यह निर्णय लेना है। पीछे की बातें आप छोड़ दें। चंद्रशेखर सरकार ने जो भी भला-बुरा काम किया हो, मैं उसकी आलोचना नहीं करना चाहता लेकिन चंद्रशेखर सरकार ने एक अच्छा काम यह किया कि पंजाब में चुनाव कराने का निश्चय किया। उसकी तारीख भी नियत कर दी गई थी लेकिन आपने आने ही उस अच्छे काम को भी समाप्त कर दिया।

मैं चाहता हूँ कि आप सदन के सामने एक श्वेतपत्र जारी करें कि जब से आपकी सरकार आई है तब से कितने लोग मारे गए, कितनों की हत्याएँ हुई, कितने निर्पराध मारे गए, जो मारे गए उनके परिवार के माश्रूतों के लिए सरकार की ओर से क्या इंतजाम किया गया?

उपसभाध्यक्ष महोदय, एक जो सबसे बड़ी बात इसके अंदर है, उसकी ओर सरकार भी ध्यान नहीं दे रही है। निश्चित रूप से यह तथ्य है कि आज जो पंजाब में या कश्मीर में आतंकवाद है उसके पीछे पाकिस्तान का हाथ है और पाकिस्तान का हाथ है इसे साबित करने के लिए फिर मैं आज के अखबार से आपके सामने कुछ कहना चाहूँगा। आज के नवभारत टाइम्स में यह लिखा है—“पंजाब में बड़े पैमाने पर कार्यवाही की तैयारियाँ शुरू”। इस में लिखा है कि—

“मुत्तचर सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार पाकिस्तान खाडकुओं के काम करने के तरीकों से खुश नहीं है। पाकिस्तानी अधिकारी कश्मीर में विद्रोह करवाने पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं और पंजाब में खाडकुओं को अभी उनसे पर्याप्त हथियार नहीं मिल पा रहे हैं। पाकिस्तान ने पंजाब के खाडकुओं को निर्देश दिया है कि वे गोला बारूद व्यर्थ न इस्तेमाल करें तथा बड़े पैमाने पर विनाश करने वाले हथियार जैसे बारूदी सुरंगें, बम और हथगोलों

का अधिक इस्तेमाल करें।

यह साबित करता है कि पाकिस्तान का सीधा हाथ है, पंजाब में जो कुछ भी आतंकवादी गतिविधियां हो रही हैं। सरकार इसे रोकने के लिए क्या कर रही है? मैंने यह नहीं देखा कि सरकार ने पाकिस्तान सरकार को इसके लिए कोई अल्टीमेटम दिया हो कि कश्मीर और पंजाब में जो कुछ भी हो रहा है, उसमें आपका हाथ है, अगर आपका हाथ रहा तो इसके नतीजे बहुत बुरे होंगे।

मैं चाहता हूँ कि वहाँ इसके लिए जो बी. एस. एफ. के जवान हैं, जो दूसरे सुरक्षा कर्मचारी हैं, जो हमारी सेना के जवान हैं उनको भी आप छूट दें और कहें कि जरूरत पड़े तो उन्हें मूह तोड़ जवाब दे आतंकवादी गतिविधियों के लिए। इस पर भी आप रोक लगाए हुए हैं।

उपसभाध्यक्ष महोदय, यह एप्रोप्रिएशन बिल जिसकी आवश्यकता पंजाब को उसके विकास के लिये है, प्रशासनिक कार्यों के लिए है, जागृति के लिए है, शिक्षा के लिए है, ग्रामों के लिए है, सिव्वाई के लिए है, यह जो बजट और एप्रोप्रिएशन बिल है, उसका तो मैं समर्थन करता हूँ लेकिन चुनाव रद्द करने के लिये जो आपका प्रस्ताव आया है, उसका मैं पुरा विरोध करता हूँ और मैं समझता हूँ कि देश का कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कि लोकतंत्र में विश्वास रखता हो वह इसका विरोध करेगा। अतः आप इसे वापस लें। नए चुनाव की तिथि घोषित करें।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः एक बार सरकार से अनुरोध करना चाहता हूँ कि वह जनतंत्र का गला न घोटें बल्कि लोकतंत्र की रक्षा करें। धन्यवाद।

श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलुवालिया :
उपसभाध्यक्ष महोदय, पंजाब साधारण निर्वाचन रद्दकरण विधेयक, 1991 तथा पंजाब विनियोग (लेखानुदान) संख्यांक 2 विधेयक, 1991 पर विचार करने के लिए मैं खड़ा हुआ हूँ।

महोदय, फ्रांस की क्रांति के बाद वहाँ के एक बड़े विद्वान ने कहा था कि अगर किसी देश को कमजोर करना हो तो उसकी राष्ट्रीय आय को कमजोर कर दो। किसी देश को कमजोर करना हो तो उसकी शिक्षा नीति को निष्क्रिय कर दो। किसी देश को गुलाम बनाना हो तो उस देश के युवक समाज को भ्रष्ट कर दो, विभ्रान्त कर दो। उस वक्त उस विद्वान की इस उक्ति को पढ़कर बहुत आश्चर्य होता था और वह सोचते थे कि राष्ट्रीय आय से हो सकता है किसी देश की आर्थिक अवस्था जुड़ी हो। राष्ट्र में शिक्षा पद्धति से उस देश के शिक्षित लोगों की संख्या जुड़ी हो। अगर देश तो मजबूत होता है, देश कैसे कमजोर हो सकता है। पर आज उस विद्वान की उक्ति सही नजर आ रही है। जब हम देखते हैं कि यू.एस.एस.आर. से यूक्रेनियन उनसे आज अलग होकर खड़ा हो गया। पहले ही वहाँ लाईन में लगकर ब्रेड लेनी पड़ती थी, राशन में ब्रेड मिलती थी, पर जब एक राज्य जहाँ से टोटल सपोर्ट मिलती थी वह अलग हो जाए तो वहाँ की क्या व्यवस्था होगी, यह सोचने की बात है। यूक्रेन की यह घटना यू.एस.एस.आर. के साथ ही नहीं हुई, भारत के साथ भी ऐसा ही हुआ। मैं कहना चाहता हूँ कि देश के स्वतंत्रता आंदोलन में जिस राज्य ने सबसे ज्यादा कुरबानियाँ की हों, जिस देश की उन्नति के लिए सबसे ज्यादा मेहनत की हों, जिस देश के ममकाँ, कल और संस्कृति पर उठाने के लिए जिस समाज ने, जिस राज्य ने सबसे ज्यादा साधु, सन्त और महन्त पैदा किए हों चाहे आप वेद उठा लें, पुराण उठा लें, चाहे रामायण उठा लें, महाभारत उठा लें, गुरु ग्रंथ साहिब उठा लें, उनको लिखने की जगह कौन सी थी? उनको लिखने की जगह उन पाँच नदियों में से किसी न किसी नदी का किनारा था। इन पाँच नदियों में से किसी के किनारे ही ये ग्रंथ लिखकर भारत को भेंट किये, जो आज उस भारत की संस्कृति के प्रतीक हैं। युग-युगान्तर तक वे हमें प्रेरणा और उपदेश देते रहे हैं। लेकिन अफसोस की बात है कि हम जब इस सदन में खड़े होते हैं, पंजाब पर कोई बिल आता है, हम अलोचना करने के लिये खड़े होते हैं, बड़े बड़े भाषण देते हैं, और अन्त में कनक्वजन हमारा धरो होता

[श्री सुरेन्द्र सिंह अल्लुवालिया]

है, मंत्री महोदय से सिर्फ एक ही सवाल होता है, हमारे सवाल भी सीमित होते हैं, कि पंजाब में कितने आदमी मरे, उनकी संख्या बताइये, कितना मुआवजा दिया, उसकी संख्या बताइये। अरे भाई, कितने मरे हैं, उनको गिनकर क्या करोगे? कितना मुआवजा दिया है, उसका हिसाब रखकर क्या करोगे, आज गृह मंत्रालय में इसका हिसाब रखने के बड़े बड़े ढेर लग गये हैं, 1981 से लेकर आज तक ऐसी मातायें सड़कों पर घूम रही हैं, गांवों में बूढ़ रही हैं कि उनके बेटे कहाँ हैं? वह पुलिस के हाथों मार डाला गया है या किसी जेल में पड़ा है, वाकई वह वह जीवित भी आयेगा या नहीं, उन्हें पता नहीं है। इन सारी चीजों पर रोक लगाने की जरूरत है। वह रोक तभी लग सकती है, जब एकाग्र होकर, सारी पार्टियाँ एक होकर पंजाब को मानें कि वाकई पंजाब इजर्ड है, पंजाब का इलाज करने की जरूरत है। एक रोग अगर हो गया है, तो उसका इलाज करने की जरूरत है। पर यहाँ तो जो भी आता है, इन्जेक्शन ठोक जाता है। जो भी आता है, वह अपना नया इन्जेक्शन लगा जाता है, नया ट्रीटमेंट शुरू कर देता है। इस पंजाब की हालत दिन-प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है। इतनी हालत खराब होने के बावजूद भी मैं कुछ आंकड़े आपके सामने रखना चाहता हूँ। पंजाब में 1981 से यह सारा कुछ चल रहा है। 1988 में पंजाब की कितनी शक्ति है, उसको आंकने की जरूरत है। उस पंजाब की पर-केपिटल खराल इन्कम 3,444 है। उसको हम नीचे नहीं गिरा सके। इतना अतंक है और मश्वे नहीं पता यह अतंक वास्तव में पुलिस ने फैलाया है या अखबार वालों ने फैलाया है। 88 तक 3,444 है और उसके साथ अगर कम्पेयर करने तमिलनाडु जायें, तो उसकी पर-केपिटल खराल इन्कम 720 है। सबसे नीचे आता है। महाराष्ट्र की 1,451 है। पर-केपिटल फूड ग्रेन प्रोडक्शन अगर पंजाब की देखें, तो 881 के.जी. है और उसके साथ

हम महाराष्ट्र की तुलना करें, तो वहाँ 135 के.जी. है। ग्रोथरेट प्रोडक्शन आफ फूडग्रेन्स इसकी 5.4 परसेंट है और महाराष्ट्र की 1.8 परसेंट है, केरल की माइनस 0.8 है। पर-हैक्टियर इल्ड आफ फूडग्रेन देखें, पंजाब में 3,103 है, महाराष्ट्र में 677 है, राजस्थान में 639 है। इतनीपोटेंसिलिटी है, राज्य में पर इस पोर्टेंसिलिटी को खत्म करने के लिये जैसा उस विद्वान ने कहा कि देश की सारी सम्पदा खत्म कर दो और तुम गुलाम बना दो, इस मुल्क को। किस तरह से विदेशी चक्रांत वहाँ काम कर रहे हैं। उन विदेशी चक्रांत से जुड़े हुए हम सब हैं, अर्थात् राजनीतिविद्, राजनीति क्षेत्र में काम करने वाले एम. एल.ए., एम.पी., डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एस.पी. और कांस्टेबल सभी जुड़े हुए हैं, कोई बाकी नहीं है। हम वहाँ खून की होली खिलवा रहे हैं। पर, इस सदन में यह यह फैसला हुआ है कि हम चले पंजाब और पंजाब जा कर फैसला करें। पंजाब जाते हैं लोग जरूर पर पंजाब को बांटने के लिये, पंजाब जाते हैं, जरूर वहाँ सिखों और हिन्दुओं में फिरकापरस्ती पैदा करने के लिये, पंजाब जाते हैं, जरूर वहाँ सिखों में दरार डालने के लिये, पंजाब जाते हैं, जरूर वहाँ की लाशों का सौदा करने के लिये। अफसोस की बात है कि पंजाब के बारे में हम कोई नहीं सोचते हैं।

पंजाब की महिमा भारत की भूमि में ही रही है, बल्कि जब प्रधान मंत्री जर्मनी गये थे और वहाँ पर जब इण्डिया फेस्टीवल दिखाया जा रहा था, तो वहाँ लोग भाँगड़ा नृत्य पंजाब का देखकर झूम उठे थे और उन लोगों ने अपनी भाषा में कहा था—वन्स मोर, वन्स मोर। यह क्या है? यह वह प्रकाश है, जो पंजाब की भूमि ने सारे विश्व को दिया हुआ है और उस प्रकाश को रोक कर हम वहाँ अंधकारमय जीवन दे रहे हैं। बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा था, हम रोज टी.वी. में देखते हैं—स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। पर पंजाब के लोग जब टी.वी. देखते हैं, तो वह कहते हैं कि य अधिकार हमारा

नहीं है। बड़ा अफसोस लगता है कि 1981 से लेकर आज तक जो पंजाब खून से लथ-पथ है जो पंजाब किस तरह से रोगग्रस्त हो चुका है, जो पंजाब वकई सही रास्ता चाहता है, वहां के पंजाब के बेकार लोगों के लिए हम क्या रास्ता दिखा रहे हैं ? हमें जब फायदा लेना होता है तब हम जरूर गुरु गोविंद सिंह जी का नाम लेते हैं, जरूर उस वक्त हमें गुरु तेगबहादुर जी की याद आती है, जरूर वक्त हमें गुरु नानक की याद आती है। परन्तु हम किस तरह से चिढ़ते हैं, किस तरह से भड़क उठते हैं जब कोई सिख "राज करेगा खालसा" की बात कहता है, तब हम किस तरह से विभ्रान्त होते हैं। उस वक्त आर.एस.एस. के लोग और शिव सेना के लोग विभ्रान्त होकर उन्हें धमकी देते हैं। खालसा का सम्पर्क क्या है, खालसा का कांसेप्ट क्या है ? खालसा के कांसेप्ट के संबंध में भाई नन्द लाल जी ने दशम ग्रन्थ में लिखा है। सुना है, अब कोई नई पार्टी बनी है खालसा राज। जब हिन्दु राष्ट्र की पार्टी बनेगी तो क्या खालसा राज की पार्टी नहीं बनेगी ? हमें इसको रोकना पड़ेगा। न इस मुल्क में हिन्दु राष्ट्र की कल्पना की जा सकती है और न सिख राष्ट्र की कल्पना की जा सकती है। अगर किसी चीज की कल्पना करने की कोशिश की जा सकती है और कोशिश होनी चाहिए तो वह भारत राष्ट्र की कल्पना होनी चाहिए जहां भारतवासी बसें। वहां हिन्दु, मुसलमान, सिख, ईसाई अपने-अपने राष्ट्र की कल्पना का सपना नहीं देख सकते हैं। यह वर्दाश्वित नहीं होगा। 26 संगठनों आनन्दपुर साहब में अभी फैसला किया अभी आनन्दपुर साहब रिजोल्यूशन के बारे में हमारे मित्र श्री शंकर दयाल सिंह बता रहे थे। उनको अच्छी तरह से पता है कि उनके नेता श्री चन्द्रशेखर जी जब जनता पार्टी के अध्यक्ष थे तो तब आनन्दपुर साहब रिजोल्यूशन पास हो रहा था, उस वक्त जनता पार्टी का रूल था, वहां जाकर उन्होंने अध्यक्षता की थी और उनकी अध्यक्षता में वह पूरा रिजोल्यूशन पास हुआ था। इस आनन्दपुर

साहब रिजोल्यूशन में सेपरेटिज्म की बात कही गई थी। उन्होंने जो व्याख्या पढ़ी वह व्याख्या तो उसका एक हिस्सा है। वह तो छोटी-सी बात है, एम्स एण्ड आब्जेक्ट्स में चार लाइनें हैं। आप पूरा रिजोल्यूशन पढ़िये, आपको पता लग जाएगा।

आज चुनाव एक मुद्दा है। 170 एम.एल.ए. की सीटों और 13 पालियामेंट की सीटों के लिए करीब 26 एम.एल.ए. के केन्डीडेट्स और दो पालियामेंट के केन्डीडेट्स मारे गये हैं। और तो और आश्चर्य की बात यह है कि जिस लोंगोवाल एकोर्ड के बारे में श्री शंकर दयाल सिंह जी अभी बात कर रहे थे, उनको शायद पता नहीं है कि लोंगोवाल का हत्यारा नछत्तर सिंह, वह भी केन्डीडेट है और उसको भी मदद की जा रही है। करमजीत सिंह जिसने राजघाट पर राजीव गांधी की हत्या करने की कोशिश की थी वह भी केन्डीडेट है। और तो और, 22 लोग ऐसे हैं जो कि जेल के अन्दर से इलैक्शन लड़ रहे हैं। मैं किसी के अधिकारों का हनन नहीं करना चाहता, मगर यह परम्परा चल पड़ी है कि तुम गांधी परिवार की हत्या करके आओ तो हम तुम्हें सम्मानित करेंगे या किसी परटिकुलर पार्टी के अध्यक्ष की हत्या करके आओ या उनके नेता की हत्या करके आओ तो हम तुम्हें सोने से तोल देंगे। आप उनसे पूछें, जो आतंकवादियों के खिलाफ लड़ रहे हैं आप उनसे पूछें कि किस तरह से उनको उठाकर ले जाते हैं, किस तरह से उनसे पैसा लिया जाता है। तो, जब तक आप जनता के हाथ में राज नहीं सौंपेंगे तब तक इस मसले का हल नहीं होगा। मेरी मांग है कि इसकी इन्क्वायरी कराये कि पिछले दस सालों में जो जो आफिसर और कार्यकर्ता वहां रहे हैं, चाहे वह डी.एम. रहा हो, चाहे एस.पी. रहा हो, चाहे डी.एस.पी. रहा हो और चाहे थानेदार रहा हो और चाहे कांस्टेबल रहा हो, उसने कितनी सम्पत्ति इक्कठी की है। इसकी इन्क्वायरी की जाय। जो मूठभेड़ होती हैं हर वक्त दिखाया जाता है कि पुलिस कुछ लोगों

[श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलुवालिया]

को गाड़ी में ले जा रही थी, मुठभेड़ हो गई और उसमें सिर्फ बंदी ही मारे जाते हैं। अगर यह परम्परा चल पड़ी तो सोने की कमी दूसरी पार्टियों के पास भी नहीं है और विदेशी शक्तियाँ इसका नाजायज फायदा उठा सकती हैं। इस परंपरा को हम सब को मिलकर रोकना पड़ेगा, इस परंपरा को बंद करना पड़ेगा। जो हमारे देश के अविष्य को इस तरह से अधकार में डालने की कोशिश करते हैं उनको हमें रोकना पड़ेगा। उपसभाध्यक्ष महोदय, मेरी मांग है आपके माध्यम से मंत्री जी से कि आप इलेक्शन तो बंद करा रहे हैं आप इस सदन के माध्यम से एग्जोर क्यों नहीं करते कि हम पंजाब में होने वाली हत्याओं को भी बंद करवायेंगे। आप इस सदन के माध्यम से देश को एग्जोर क्यों नहीं करते कि हम झूठी मुठभेड़ें बंद करवायेंगे। उपसभाध्यक्ष महोदय मैं एक सच्ची घटना आपको सुनाना चाहता हूँ। अमृतसर में एक बैंक में लाकर तोड़कर चोरी हुई और पकड़े गये कुछ चोर। पांच आदमी पकड़े गये जो कि प्रोफेशनल चोर थे, जिनका आतंकवाद और पोलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं था। वे रेलवे कर्मचारी थे और वहाँ फिटर थे। वे लाकर को तोड़कर वहाँ से गहने और कैश चोरी करके ले गये। पंजाब पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया और उनसे सारा पैसा रिकवर किया। रिकवर करने के बाद उन्होंने जिसका पैसा था उसको कहा कि पंचनामा लिखो कि इतना पाया। रुपया 25 लाख से अधिक था और उससे कहा जा रहा था कि यह दस्ताखत करो और उसको 4 लाख रुपये दिये जा रहे थे। अगले ने साइन करने से इंकार कर दिया। बात फैल गई और लोगों के ध्यान में आ गई। जिन चोरों को पकड़कर जेल भेज दिया गया था, जो जूडिशियल कस्टडी में थे उनको भी पता लगा कि एसी लड़ाई चल रही है। उन्होंने भी मन बनाया कि हम भी निकलकर एफिडेविट दे देंगे। पुलिस ने इनको इन्ट्रोगेट करने के लिए मजिस्ट्रेट से परमिशन मांगी और दो दिन की परमिशन मांगकर निकाल कर ले आये। उसके बाद उन्होंने

कहा कि जब हम उनसे पूछताछ करके उनको उस जगह गहने रिकवर कराने ले जा रहे थे तो रास्ते में आतंकवादियों ने हम पर हमला कर दिया और उसमें ये लोग मारे गये। उपसभाध्यक्ष महोदय, अगर इसको भी मैं आतंकवादी घटना मानूँ तो आप इसको क्या कहेंगे? लेकिन मैं इसको भी आतंकवादी घटना मानता हूँ, पर यह आतंकवादियों की तरफ से नहीं है बल्कि यह युनिफार्म पहने हुए पुलिस की तरफ से है। इस पर विचार होना चाहिए। उपसभाध्यक्ष महोदय, वहाँ पर इस तरह की कई घटनाएँ हो रही हैं। उपसभाध्यक्ष महोदय, आप गांवों में चले जायें। गांवों में आपको कांग्रेस के वरकर्स मिलेंगे, कम्युनिस्ट पार्टी के वरकर्स मिलेंगे, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के वरकर्स मिलेंगे, जिस तरह से अभी पीलीभीत में हुआ। तीर्थ यात्री जो बस में जा रहे थे उनको उतार के जंगल में ले जाकर मार दिया। बी०जे०पी० की सरकार ने (व्यवधान) मैं घूम कर के आया हूँ। (व्यवधान)

श्री जगवीश प्रसाद माथुर : आतंकवादियों की आरती उतार रहे हैं (व्यवधान)

श्री कृष्ण शाल शर्मा (हिमाचल प्रदेश) : उसकी ज्यूडिशियल इन्क्वायरी हो रही है (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलुवालिया : मुझे मालूम है कैसी ज्यूडिशियल इन्क्वायरी हो रही है। जिस एस०पी० के खिलाफ केस है उसकी तो मलियाना कांड में भी ज्यूडिशियल इन्क्वायरी हुई थी (व्यवधान) मेरा मुंह मत खुलवाइये बाबा। तो जिस तरह से यह मुठभेड़ बना कर लोगों को मार दिया जाता है, इसको रोकने की जरूरत है। (समय की घंटी) उपसभाध्यक्ष महोदय, पिछले कई सालों से मैं सुनता आ रहा हूँ कि पंजाब के लोगों को विभ्रान्त युवकों को सही रास्ते पर लाने के लिए कुछ स्कीमें लाई जायेंगी - हर बार बजट के टाइम में यह कहा जाता है कि उनको लोन दिये जायेंगे, नई इंडस्ट्रीज बैठाई जायेंगी, अनइम्प्लायमेंट

को खत्म करने के लिए कोशिश की जाएगी। मैं मंत्री जी से यह अवश्य जानना चाहूंगा कि 1981 से ले कर आज तक कितने नये उद्योगों की थापन की गई है और कितने लोगों को नौकरी दी गई है ? जो पर केपिटल इनकम, रूरल प्रोडक्शन मैंने बताई है, यह तो उनकी मेहनत की कमाई है। मैं यह जानना चाहता हूँ कि आपने क्या क्या नये रास्ते निकाले हैं, क्या नया इन्फ्रास्ट्रक्चर तैयार किया है ? मेरी आपके माध्यम से सरकार से यह गुजारिश है कि इलेक्शन बन्द करना ही रास्ता नहीं है। 36 गेटों ने मिल कर के एक फैसला किया है कि वह बैठ कर जो भी फैसला करेंगे वह आगे माना जाएगा क्या सरकार कोई पहल कर रही है उस में मे किसी गूट से बात करने के लिए, क्या उन्होंने कोई मेमोरेण्डम दिया है जिसके माध्यम से वह बात करना चाहते हैं ? ऐसा कुछ है तो मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा। पंजाब की रक्षा करने के लिए रास्ता एक ही है और वह है जल्दी से जल्दी चुनाव कराये और चुनाव करवा कर ऐसा माहौल बनाये कि वहाँ के लोग पंजाब के लोग खड़े हो कर अपना फैसला खुद कर सकें। धन्यवाद।

SHRI RAMACHANDRAN PILLAI (Kerala): Sir, the situation in Punjab is deteriorating day by day. The killings are not decreasing but increasing. Not only the killings but there are extortions, lootings, shootings and bomb blasts, and all these are increasing. There is no law and order, there is no security of life or of property. The people in Punjab are losing confidence and the extremists and secessionists, backed by imperialists and foreign powers are trying to divide the people, divide the country.

Sir, who is responsible for this sorry state of affairs? Of course, the extremists backed by imperialists and foreign countries, who are bent upon dividing the people and dividing the country. No doubt, their attempts could have been defeated and they could have been isolated from the mass of the people. Next to these extremists, of course, the actions and inactions of the Central Government are also rea-

possible for the present state of affairs there.

I am sorry to say, Sir, that Punjab has become an experimental ground for all the Governments at the Centre. The ruling parties approached this question from the view-point of their narrow, partisan gains. They have not realized the fact that all these would result in increased threats of the extremists and increased threats to the unity of the country. Sir, to the genuine demands of the Punjabi people, solutions could have been found. But the narrow, partisan approach of the Central Government and the policies of the Congress (I) created this situation.

I do not want to go into the unfortunate incidents of the Operation Bluestar, the assassination of Shrimati Indira Gandhi and also the riots in Delhi. But, after all these incidents, with great difficulty the Punjab Accord was made. To this Rajiv-Longowal Accord, the people in Punjab responded in a very big way. The extremists were isolated from the people. Majority of the Punjabi people rejected the appeal of the extremists at that time. The people of Punjab voted for a popular government and it came in power there. But the Central Government did not implement the provisions of the Rajiv-Longowal Accord. They dismissed the State Government. What is the effect of all this? There was a spurt in the activities of the extremists. What has been the performance of the Central Government? The Central Government changed the Governments one after another. They deployed para-military forces. Occasionally they deployed the military there. Can all these steps solve the problem of Punjab? The problem of Punjab could be solved by removing the root cause of this problem. Our party, the Communist Party of India (Marxist) repeatedly pleaded for that. But our voice and all such other voices went unlistened. Now President's rule is continuing for the past four years. President's rule is not a solution to the Punjab problem. The people in Punjab are fed up with this present administration. The Central Government should initiate a democratic process without any delay. The

[Shri Ramachandran Pillai]
situation is not hopeless. In spite of all these actions and inactions on the part of the Government, in spite of all the pressures on the part of the extremists, the majority of the Punjab people are not swayed away by the extremists.

How to rouse the feelings, the patriotic feelings of the Punjabi people. Sir, I plead for a four-pronged, four-dimensional approach to solve this problem of Punjab:

The first thing is that an election schedule must be declared immediately to ensure the restoration of the democratic process there.

Along with this, the Central Government should take other steps: They should hand over Chandigarh to Punjab; refer the water dispute to the Supreme Court; set up a commission to go into the territorial disputes; set up a committee of the Inter-State Council to go into the question of restructuring the Centre-State relations; give due status to the Punjabi language. The children of the Punjabi people, studying in the neighbouring States, opting to study the Punjabi language, should be provided with requisite facilities. An immediate announcement concerning the enactment of the All India Gurdwara Act should be made to ensure democratic functioning of the gurdwaras.

All these are necessary. All these are the provisions of the Rajiv-Longowal Accord. Even if all the provisions of the Rajiv-Longowal Accord cannot possibly be implemented in the present context, if the Government takes all these steps, definitely the situation will improve. The second step is that the Central Government should streamline the present administration. They should ensure safety and security of the Punjab people. The Government should weed out all corrupt officials, who are harassing the people there and are minting money.

The third thing is that the agrarian sector in Punjab now is not in a position to absorb all unemployed youth there. So, the Centre should initiate some economic packages to absorb the youth there.

Fourth step is that we should launch a massive campaign making use of all media to inspire the people, recall the great traditions of the Punjab people and thus try to rouse their patriotic feelings. We should work against mixing religion with politics. If all these measures are taken, normalcy can be restored slowly in Punjab and extremists can be isolated. If the Government continues to pursue the policy of drift, it will lead to very serious consequences.

I submit that the Government should take immediate steps on all these points.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI M. A. BABY): Thank you very much for not taking all the allotted time. I hope the remaining speakers will emulate him.

श्री हरबचन्द्र सिंह हंसपाल : मि० वाईस चैयरमैन, मुझे पंजाब के बजट के बारे में कुछ बातें करनी हैं और कुछ कंसलेशन आफ इलेक्शंस के बारे में बात करनी है। मैं कोशिश करूंगा कि बहुत डिटेल् में न जाऊं और ब्रीफ में बात करके अपनी बात कह दूं।

मि० वाईस चैयरमैन, बजट के अंदर स्टेट प्लान आउटले जो है, वह 1,010 करोड़ का है, नार्मल सेंडल असिसटेंस 200 करोड़ है, डेफिसिट 1991-92 का 85 करोड़ है, स्पेशल असिसटेंस बाई सेंटर 600 करोड़ है। बड़ी खुशी की बात है। बहुत सालों से हम यही डिसकस करते चले आ रहे हैं।

जो बात चण्डीगढ़ असेम्बली के अंदर डिसकस होनी चाहिए, पंजाब का बजट या पंजाब की प्राबलम्स, कई सालों से लगातार यहां पर दिल्ली में, किसी न किसी कारणों से यहां पार्लियामेंट के अंदर डिसकस करते हैं। यह अफसोस की बात है।

खुशी की बात है कि स्पेशल असिसटेंस 600 करोड़ मिलेगी, नार्मल सेंडल असिसटेंस 200 करोड़ की मिलेगी, डेफिसिट भी शायद यहां से बाईप आफ होगा, लेकिन मेरा कहना है कि यह पैसा जर्ब कहाँ होता है ?

मि० चैयरमैन आप हैरान होंगे कि 1981 में सिक्यूरिटी के ऊपर सिर्फ 18 करोड़ रुपया खर्च होता था, आज यह 300 करोड़ हो गया है। असिस्टेंट्स दे दी जाए, यहां से स्पेशल फंड भेज दिये जाएं और वहां पर सिक्यूरिटी अरेंजमेंट्स के अंदर खर्च कर दिया जाए यह कोई समझदारी की बात नहीं मानता। अगर यही 300 करोड़ रुपया किसी डिवलपमेंटल वर्क के ऊपर पंजाब में लगाया जाए, तो मेरा ख्याल है कि अगर ज्यादा नहीं तो 3,000 करोड़ की वैल्यू यह प्रोड्यूस कर सकता है। पंजाब एक वह स्टेट है, जो कुछ साल पहले, आठ-दस साल पहले हर फील्ड के अंदर देश में एक नम्बर पर था, पर नम्बर गिरते-गिरते अब इतने नीचे आ गये हैं कि अब उसकी गिनती किसी हाई कैटेगरी में नहीं हो रही है। यह कहना चाह रहा था कि अगर पंजाब को ठीक कर दिया जाए और पंजाब के अंदर जितना रुपया भेजा जा रहा है उसको प्रोडक्शन के ऊपर, भेजा जा रहा है उसको प्रोडक्शन के ऊपर, प्रोडक्टिव काम के ऊपर वहां लगा दिया जाए, वहां की डिवलपमेंट में लगा दिया जाए तो शायद वह लोग जो आज अमरीका के बीसा के लिए, अमरीका में माइग्रेशन के लिए दो-दो लाख, तीन-तीन लाख रुपया खर्च करते हैं, वह अमरीका न जा करके पंजाब जाना पसंद करते हैं। पंजाब इतना तरक्की कर सकता था, आज की तारीख में भी, ऐसे हालात में भी, किसी स्टेट के ऊपर मेरा एस्पेंशन नहीं है, लेकिन ईस्टर्न यू० पी० और बिहार के हजारों लोग और कह दें कि लाखों लोग पंजाब में जाकर अपनी रोजी-रोटी कमाते हैं, ऐसे हालात के बावजूद कि पता नहीं किस वक्त, कहां गोली लग जायेगी और मृत्यु हो जाएगी, लेकिन फिर भी इस तरह लोग आते हैं कि गाड़ियों की छतें भी भरी होती हैं। गाड़ियां तो भरी रहती हैं लेकिन गाड़ियों की छतें भी भरी रहती हैं। छतों पर लोग लदे हुए होते हैं। उसके ऊपर लोग बैठ कर आते हैं। क्या कारण है? वहां पर हम अमरीका की तरफ भागते हैं, अगर यहां हम पंजाब की ठीक कर लें तो शायद वहां जाने की जरूरत न रहे। मैं एक बात तो बाद में कहूँगा

बजट के बारे में मुझे और भी बात करनी है। यह तीन सौ करोड़ जो आज खर्च हो रहा है पंजाब के अंदर सिक्यूरिटी के ऊपर, वह किन लोगों के ऊपर खर्च होता है? एक मिसाल देता हूं। यह 'टेलीग्राफ' 16 सितम्बर का है:

"On August 30, the villagers of Jatana, situated near the historic Chankar Sahib gurudwara, were woken up around 3 A.M. by the sound of gunfire. They saw five armed men coming out of Sohan Singh's house and leaving the village in two vehicles which "seemed to be police Gypsies." The villagers then rushed to the house and saw smoke billowing out of one of the rooms. "Inside the house, we found badly burnt bullet-riddled bodies of Balwinder's grandmother, Dwarji (80), his aunt, Jasmei Kaur (40), his niece, Manpreet Kaur (14) and his five-and-a-half-year-old nephew, Simranjit Singh," they say.

"The villagers recall that armed men in plain-clothes had twice visited the village on August 29 and made enquiries about Balwinder Singh's family.

They say the men had come in white Gypsies that did not have any number-plates."

"The Gypsies returned at dawn the next day with the plainclothed armed men, who killed four members of Balwinder's family in cold blood," the villagers say.

सिक्यूरिटी के ऊपर खर्च होता है। पुलिस बहुत अच्छा काम भी करती है। हार्डकोर टेरोरिस्ट्स को भी मारती है। ऐसे लोगों को भी उन्होंने मारा जिनके ऊपर 25 लाख रुपये का ईनाम था। हजार-हजार लोगों को शायद उन्होंने मारा है। ठीक है, लेकिन आज समस्या क्या है? अखबारों के अंदर छपता है और आज की अखबार में भी है:

"Thirteen terrorists among twenty-six were killed in Punjab." यह कौन सी शान की बात है। 13 आदमी मिलिटेंट मार गए और 13 पुलिस ने मार दिए। मैं इस सरकार से भी

[श्री हरबख्त सिंह हंसपाल]

जानना चाहता हूँ, पहली सरकार से भी पूछता रहा हूँ बार-बार कि टेरोरिस्ट्स की कितनी गिनती है, हमें बताई जाए? कोई एकाऊंट तो होगा कि हम रोज 25-26 मारते हैं और वह रोज बढ़ते चले जाते हैं। लेकिन इस तरफ किसी का ध्यान नहीं है। मिलिटेंट्स काम करते हैं। उन्होंने डाइरेक्टर जनरल पुलिस की कार उड़ा दी, होम मिनिस्टर की कार उड़ा दी, फारचुनेटली वह बच गए। रोमेटली एस०एस०पी० चण्डीगढ़ मि० सैनी की कार रिमोट कंट्रोल से उड़ा दी। एक तरफ आतंकवादी यह काम कर रहे हैं, दूसरा पुलिस यह काम कर रही है। हम क्या चाहते हैं? किस स्टेज पर इस बात को खत्म करना चाहते हैं?

वाइस चैयरमैन साहब, एक गाड़ी है जिसका कि नाम "समझौता एक्सप्रेस" है। यह पाकिस्तान बार्डर से चलती है, अब मुझे नहीं पता कि कहां तक आती है? डिस्ट्रिक्ट लुधियाना में एक शानेवाल जगह है, वहां इस पर दो बार अटैक हुआ। दर्जनों के हिसाब से गाड़ियां अमृतसर जाती हैं, और अमृतसर से दिल्ली की तरफ आती हैं, लेकिन इसी ट्रेन के ऊपर दो बार गोली चलायी गयी। इस समझौता एक्सप्रेस से मेनली मुस्लिम पापुलेशन पाकिस्तान जाती है या वहां से जो हिंदुस्तान आती है, उसमें ट्रेवल करते हैं। एक इंसीडेंट में 8-10 लोग जखमी हो गए और दूसरी इंसीडेंट में 3-4 लोग मारे गए। वाइस चैयरमैन साहब, मैंने 8-10 साल पहले भी कहा है कि यह जरूरी नहीं कि सिख ही पंजाब में मिली-टेंट्स हैं। यह जरूरी नहीं कि सिख लड़के ही यह काम करते हैं। इसके पीछे क्या कॉन्स्पिरेसी है, इसका कुछ पता नहीं। यह अब स्पष्ट हो चुका है कि पाकिस्तान से बहुत बड़ा सपोर्ट मिलता है। होम मिनिस्टर साहब यहां है नहीं, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि अगर पाकिस्तान का इसमें कोई हाथ है तो न तो हम लोग उसमें कुछ कर पाएंगे, न आतंकवादी कर पाएंगे, न पुलिस वाले कुछ कर पाएंगे। सरकार को कुछ फैसला करना होगा और इसे रोकना पड़ेगा। जो

काम हमारे बस का है, जो काम हमारी सरकार कर सकती है, उसको जल्दी-से-जल्दी करना चाहिए।

जहां तक इलेक्शंस का सवाल है, मैं इस हक में हूँ कि पंजाब के अंदर इलेक्शंस जल्दी-से-जल्दी हों। मंत्री महोदय ने अपने स्टेटमेंट में कहा है कि पंजाब के अंदर जब कंजिनियल एटमास्फियर होगा या कंड्यूसव सिचुएशन बनेगी, उस समय पंजाब में इलेक्शंस करवाए जाएंगे। इस बात के साथ बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। हमने पिछले कई सालों में देख लिया है। सरकार जबर्दस्ती करके, सक्ती करके उसमें आज तक कुछ प्राप्त नहीं कर सकी है। हालात दिन-ब-दिन बिगड़ते चले गए। पिछली दो सरकारों ने कहा कि वहां पर इलेक्शंस करवाए जाएं। अब मैं उनकी बात करूँ कि उनकी नीयत कैसी थी, यह बहुत अच्छी बात नहीं है लेकिन वे इलेक्शंस नहीं करवा पाए। राजीव गांधी ने जब कांग्रेस की तरफ से इलेक्शंस का बॉयकाट करने का फैसला किया तो उनकी मंशा यह थी कि जो इलेक्शंस करवाए जा रहे हैं, वह रेस्ट ऑफ द कंट्री के इलेक्शंस से डिलिक हो जाने चाहिए। वह डिलिक इसलिए करना चाहते थे कि जब पंजाब में इलेक्शंस होंगे तो वहां पर बहुत ज्यादा सेक्युरिटी फोर्स भेजने को जरूरत पड़ेगी और जब रेस्ट आफ द कंट्री के साथ इलेक्शंस होंगे तो वह फोर्स वहां जा नहीं सकेंगे। फार सम रीजन्स, हमारी सी०पी०आई०, सी०पी०एम० और बी०जे०पी० के साथ बातचीत भी चलती रही, लेकिन किसी कारण हम इस बात में कामयाब नहीं हो सके कि वह टोटली डिलिक हो जाए। डेट्स जरूर इस इंग से फिक्स होती रहीं, लेकिन अब इसमें क्या पालिटिक्स थी, यह बहुत लंबी बात हो जाएगी, लेकिन वह यह चाहते थे कि कंप्लीटली डिलिक करके इतने फोर्स वहां भेजे जाएं कि लोग आराम से जाकर अपना वोट बिना किसी डर के डाल सकें। उसमें कोई स्कावट न आए। लेकिन ऐसा नहीं हो सका। तो राजीव जी ने यह फैसला किया कि जब तक ये टोटली डिलिक न हो, तब तक हम इलेक्शंस के अंदर हिस्सा नहीं लेंगे, वह

बात सही साबित हुई। उसके बाद करीब 30 कडीडेट वहां मारे गए। मैं अंतिम बात निवेदन करना चाहूंगा क्योंकि मुझे कहा गया है कि बहुत लंबी बात न करूँ। इलेक्शन को हम जितना जल्दी-से-जल्दी करवाएँ, वह अच्छा है। आप कैसीलेशन के लिए आए, हम उसका सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन उसका यह मतलब नहीं कि इन इलेक्शन को इतना लेट कर दिया जाए कि इलेक्शन अगले 6 या 8 महीने में न हो पाएँ। The 11th November is the last date for President's rule there.

और अगर हम 11 नवंबर तक नहीं करवाते तो उसके बाद 6 महीने वह और एक्सटेंड कर सकते हैं, अप टू 11 मई। लेकिन 11 मई से एक्सटेंड करने के लिए फिर कंस्टीट्यूशनल अमेंडमेंट लाने की जरूरत पड़ेगी। अगर 11 नवंबर से पहले किसी वजह से चुनाव नहीं करा सकते तो उसकी एक्सटेंशन लेने के बाद जल्दी से जल्दी पंजाब में हमें चुनाव कराने चाहिए ताकि वहां पर पापुलर गवर्नमेंट आ सके और जो मैंने बात कही है पुलिस की, एडमिनिस्ट्रेशन की उसको पापुलर गवर्नमेंट अपने बग से डील कर सके। इलेक्शन के बारे में मैंने बी.पी. सिंह की सरकार के टाईम बोलते हुए कहा था कि अगर इलेक्शन बहुत जल्दी आप वहां नहीं करवा पाएंगे और यह इलेक्शन नहीं करवाएंगे तो लीज आफ थोर गवर्नमेंट बिल बी शोर्ट और वह बात सही हुई। यहीं बात मैंने चन्द्रशेखर जी की गवर्नमेंट के समय भी कही थी। वह भी नहीं करवा पाए। मैं वह बात रिपीट नहीं करना चाहता, लेकिन मैं यह चाहूंगा कि जल्दी से जल्दी वहां इलेक्शन कराए जाएं, जो कि पंजाब के लिए अच्छा होगा।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस बिल का समर्थन करता हूँ। धन्यवाद।

श्री कृष्ण लाल शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय इस समय हमारे सामने विचाराधीन तीन बातें हैं—पंजाब का बजट, पंजाब विनियोग (लेखानुदान) संख्यांक 2 विधेयक, 1991 और पंजाब के साधारण चुनाव रद्द करने का विधेयक।

जहां तक बजट का सवाल है और विनियोग लेखानुदान का सवाल है, मैं अपने कुछ संशोधनों के साथ इसका समर्थन करना चाहूंगा। मैं समझता हूँ कि सरकार को इन्हें रखते समय पंजाब की परिस्थिति को देखते हुए पंजाब के लिए कोई न कोई पैकेज एनाउंस करना चाहिए था और पंजाब की स्थिति को देखते हुए, जो वहां की गंभीर समस्याएँ हैं उसके लिए अलग से कुछ राशि निर्धारित करने का प्रावधान करना चाहिए था। इस समय वहां पर विस्थापितों की समस्या है, वहां के जो सीमावर्ती जिले हैं वहां के लोगों की स्थिति बहुत खराब है, पंजाब में इस संकट के समय में भी उद्योगपति हिंमत के साथ अपने उद्योग चला रहे हैं, उनको सहायता दिए जाने का प्रश्न है। इसी प्रकार इस सारी परिस्थिति में आज भी अगर पंजाब का किसान वहां संकट में बैठा हुआ भी उत्पादन कर रहा है, देश के लिए अनाज पैदा कर रहा है तो उसकी मदद ज्यादा करने के लिए सरकार को कुछ सोचना चाहिए था। इनके लिए कोई विशेष प्रावधान नहीं किया गया। वहां पर जो कर्मचारी हैं, वह भी बड़े संकट में हैं, आज उनके लिए जिरा रहना पाना मुश्किल हो रहा है। चाहे वह स्कूल का अध्यापक हो, चाहे वह किसी दूसरी जगह काम करने वाला व्यक्ति हो, उसको भी आज ज्यादा प्रोत्साहन देने की जरूरत है। आपकी आकाशवाणी हो या हमारे पत्रकार हो, सब लोगों के ऊपर एक संकट है। उनकी सुरक्षा की दृष्टि से भी कोई हमने अलग से प्रावधान किया होता, और उनको यह आश्वासन दिया होता तो उनके मन में एक आशा का भाव जगता, लेकिन हमने कोई अलग से इन चीजों के बारे में सोचने की आवश्यकता नहीं समझी। इस पर सोचा जाना चाहिए। मैं समझता हूँ कि सरकार जब इस डिवेट पर पूरा उत्तर देगी तो इन पर जरूर विचार करेगी।

उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक चुनाव रद्द करने का सवाल है, मैं इसका विरोध करता हूँ और मैं यह कहता हूँ कि सरकार इस बात को ध्यान में रखे कि इस बार चुनाव स्थगित करके सरकार

[श्री कृष्ण लाल शर्मा:]

एक ऐतिहासिक और हिमालय जैसी जो गलती की है। इसके लिए सरकार को बहुत बरी तरह पछताता पड़ेगा। मैं देखता हूँ कि सरकार किस तरह से उसके कारण बताती है। अब यह जो विधेयक है, इसके उद्देश्य क्या हैं? आप अगर उद्देश्यों की तरफ देखेंगे तो उसमें कहा गया है कि वहाँ पर परिस्थिति खराब थी और इसलिए चुनाव आयोग को चुनाव स्थगित करने पड़े क्योंकि चुनाव नहीं हो सकते थे। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है। वहाँ पर 2.00 P.M. सभी दलों ने, सभी राजनीतिक दलों ने — कांग्रेस, सी०पी०आई०, सी०पी०एम०, बी०जे०पी०, सभी दलों ने चुनाव की घोषणा होने के पूर्व यहाँ आकर राष्ट्रपति से मुलाकात की, चुनाव आयुक्त से मुलाकात की और उन्होंने कहा कि अगर आप 20 जून से आगे की कोई तिथि निश्चित कर दें और उसके लिये सिक्यूरिटी अरेंजमेंट ठीक से किया जाय तो हम उसमें हिस्सा लेने के लिये तैयार हैं। इसके मुताबिक घोषणा की गई 22 जून की तिथि की।... (अवधान)...

श्री हरबेश सिंह हंसपास : वह 30 जून की बात है, वह 26 जून की बात होती तो हम उससे सहमत होते।

श्री कृष्ण लाल शर्मा : 20 जून की 10 जून को सबने माना था।

[उपसभाध्यक्ष (श्री० बन्देश पो० ठाकुर) पीठासीन हुए]

20 जून के बाद की डेट मांगी गई थी और उन्होंने 22 जून तय की। इसके बाद वह भी एक विचार था और सभी राष्ट्रवादी दलों ने कहा था कि इस बार प्रांतवादियों के खिलाफ एक मोर्चा बनाकर लड़ा जाय और जो भी फैसला करना है इकट्ठे करेंगे—नहीं लड़ना है तो भी इकट्ठे फैसला करेंगे और लड़ना है तो भी इकट्ठे फैसला करेंगे। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि लड़ने का फैसला

तो इकट्ठे किया गया लेकिन बायकाट करने का फैसला कांग्रेस ने अकेले कर लिया। इससे पंजाब के लिये एक बड़ी दुर्भाग्य की स्थिति पैदा हुई। लेकिन इसके बावजूद भी मैं तीन बातें चुनाव आयुक्त की इस दलील को काटने के लिये रखना चाहता हूँ। इस बार जो माहौल बना, पांच अकाली दल चुनाव में शामिल हुये। भारतीय जनता पार्टी, सी०पी०आई०, सी०पी०एम०, जनता दल, ये शामिल हुये, सी०पी०एम० ने बाब में जाकर, उसका बायकाट किया, और उनके केडीडेट मारे गये, उनके नेता मारे गये। मैं चुनाव आयुक्त से पूछना चाहता हूँ कि जो दल चुनाव लड़ रहे थे, जिनके नेता मारे गये, केडीडेट मारे गये, क्या उनमें से किसी भी दल ने उनसे चुनाव स्थगित करने की मांग की थी? किसी ने नहीं की। जो दल चुनाव नहीं लड़ रहा था, वह यह चाहता था कि चुनाव नहीं होने चाहिये और उनके दबाव में आकर चुनाव आयुक्त ने चुनाव स्थगित कर दिये। यह बड़े दुर्भाग्य की बात है। दो मोर्के चुनाव आयुक्त के सामने आये थे। आप जानते हैं कि तिथियाँ सारे देश में तय हो गई थीं, लेकिन जब हमारे भूतपूर्व प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी की हत्या हुई तो सारे देश में जो दूसरे हिस्से का पोलिस था, उसकी तिथियाँ बदल दी गईं। वह मोर्का था जब चुनाव आयुक्त अगर चाहते तो पंजाब की तिथियाँ भी और आगे कर सकते थे, लेकिन उस समय नहीं की गई। उसके बाद 15 जून के दिन मुधियाना के पास दो रेलगाड़ियों में 133 यात्री मारे गये, इसके बावजूद चुनाव आयुक्त ने यह घोषणा की और मैं उनके शब्द क़ोट कर रहा हूँ, उन्होंने कहा, एक जगह मिस्टर घोषणा ने कहा कि—

“यह चुनाव आयोग की बान्धिश तो गिर सकती है, लेकिन पंजाब के चुनाव स्थगित नहीं हो सकते।”

और उसके बाद जिस दिन चुनाव होने वाले थे, उससे एक दिन पहले अचानक,

उस दिन कौन भी विशेष घटना हुई। क्या बात हुई यह किसी को मालूम नहीं और हम समझते हैं कि एक ही बात हुई कि चुनाव आयुक्त को यह लगा कि अब नई सरकार आ रही है और यह लोग चुनाव नहीं चाहते हैं, इसलिये उन्होंने चुनाव स्थगित कर दिये। यह कोई चुनाव कराने का तरीका नहीं है, और न ही यह स्थगित करने का कोई तरीका है। इसलिये मुझे यह कहना है कि श्री शेषन की यह दलील खोखली है, उसमें कोई वजन नहीं है। अब सरकार को देखिये। सरकार ने इसका समर्थन किया कि उन्होंने चुनाव ठीक स्थगित किये और फिर एक बात कही कि हम एक ऐसा कानून लाना चाहते हैं जिसके जरिये जो पृथक्तावादी या अलगवादी लोग हैं, वे चुनाव में हिस्सा न ले सकें। वह कानून तो नहीं आया, चुनाव कैंसिल किये जा रहे हैं। इसलिये हमारा यह आरोप है कि इस समय जो केन्द्र में शासक दल है, वह अपने दल को पंजाब के चुनाव में शामिल करने के लिये, केवल एक राजनीतिक निहित स्वार्थ के लिये यह विधेयक ल रहा है, अन्यथा इसका कोई प्रयोजन नहीं है।

एक बात और भी है, मैंने अपना एक संशोधन दिया है, जब संशोधन का उपयुक्त समय आयेगा तो मैं उस समय अपनी बात रखूंगा, लेकिन मैं एक दूसरी बात कहना चाहता हूँ। सरकार ने एक और बड़ी विचित्र दलील दी है अपने उद्देश्यों के वक्तव्य में सरकार ने यह कहा कि लम्बे समय के लिये वह पर और सिक्युरिटी कोसिस को और बढ़ा पर जो प्रत्याशी हैं, उनकी रक्षा के लिये, रखना मुश्किल है और इसलिये हम यह चुनाव रद्द कर रहे हैं। मैं सरकार से यह जानना चाहता हूँ, उन्होंने एक गलती यह की कि चुनाव स्थगित होने के बाद वहाँ पर चुनाव को मुचालू रूप से कराने के लिये जो सेवा भेजी गई थी, उसको वापिस बुला लिया। उसके कारण से स्थिति खराब हुई है। चुनाव स्थगित होने के बाद हत्यायें बढ़ी हैं और आतंकवादियों का बढ़ाव

बढ़ा है, क्योंकि आपने वहाँ से सेना वापिस बुला ली। अब हमारी सरकार की योजना यह है कि चुनाव स्थगित करेंगे और यह कह देंगे कि अब केंडीडेट को कोई सुरक्षा की आवश्यकता नहीं है, सुरक्षा उनसे हटा ली जायेगी और उनको आतंकवादियों के रहम पर छोड़ दिया जायेगा कि आप मरो चाहे जीओ। अब क्या यह प्रयोजन है? फिर आखिर में यह आपवासन दिया जाता है कि चुनाव शीघ्र प्रति शीघ्र कराये जायेंगे जबकि स्थिति अच्छी हो जायेगी। कदम सारे ऐसे लये जा रहे हैं जिससे स्थिति बिगड़े और फिर यह आपवासन देना कि स्थिति अच्छी हो जायेगी तो हम चुनाव करावेंगे। यह बिल्कुल परस्पर विरोधी दावा है। मैंने जैसा कहा कि शेषन की दलील खोखली है और सरकार के उद्देश्यों का वक्तव्य भी परस्पर विरोधी है। इसके बारे में मैं सख्त आपत्ति करना चाहता हूँ। एक दलील और दी गई थी कि हम कोई कानून लाना चाहते हैं, (समय की घंटी) उपसमाध्यक्ष महोदय, अभी शायद समय इतना नहीं हुआ कि आप जल्दी घंटी बजायें। लेकिन इस समय मैं यह कहना चाहता हूँ कि पंजाब के संबंध में अब तक इस पालियामेंट के अन्दर 39 कानून पास हो चुके हैं—यर्टी नाईन, जिसमें एंथ्रोप्रिएशन, बजट आदि भी लया लीजिये। लेकिन 39 कानून पास हुये और यह चालीसवां है जो हम पंजाब के संबंध में कोई कानून या बिल पास कर रहे हैं। इसके अलावा हमने एक 59वां संविधान चंसेडमेंट पास किया था, जिसमें हमने लोगों का राईट टू लाईफ एंड प्रोपर्टी भी ले ली और उसके बाद सरकार बदलने पर हमने 63वें अमेंडमेंट से वह रद्द कर दिया। मैं अब यहाँ पर यह पढ़ना चाहता हूँ कि हमने जितने भी कानून बनाये और लागू किये, क्या उनमें से एक भी कानून हम पंजाब में इंप्लीमेंट कर सकें? एक भी कानून—एन०एस०ए०, डाडा, स्पेशल कोर्ट, कोई भी कानून हमने लागू किया? हम नहीं कर सके।

[श्री कृष्ण लाल शर्मा]

मुझे एक मित्र ने कहा कि हम ऐसा कानून लायेंगे कि जिससे कोई सिलेक्शन होगा, तो उसको चुनाव के दौरान रिसक्वालीफाई कर देंगे। मैंने उनको कहा कि यह जो आपके मजिस्ट्रेट बगैर है, इनको अगर आप यह अधिकार दे दें कि आप किसी को भी रिसक्वालीफाई कर देंगे, तो यह जो आतंकवादी है वह बन्दूक लेकर मजिस्ट्रेट के घर चले जायेंगे, और बन्दूक दिखायेंगे कि इस पर दस्तखत करो कि आंक कांग्रेस के, बी०जे०पी० के और दूसरी पार्टों के यह-यह कैंडीडेट हैं, इनको रिसक्वालीफाई किया जाय और वह कर देंगे। आज किसी मजिस्ट्रेट की वह हिम्मत नहीं है कि किसी किलर को वह सजा दे सके। एक भी किलर को आज तक किसी कोर्ट से सजा नहीं हुई है। हर एक मजिस्ट्रेट यह रास्ता देखता है कि कब इसको हम जमानत कर दें और कौन सा रास्ता निकालें। तो इस समय कानून की बात करके और इस तरह लूली-लंगड़ी दलील देकर लोगों को चुनाव से वंचित करना चाहते हैं। मुझे बड़ा अफसोस है कि पंजाब में चुनाव का जो माहौल बना था, उस समय मैं वहाँ पंजाब में इलैक्शन केम्प के दौर में गया, हालांकि अकालियों का और हमारा इतना जबर्दस्त मतभेद था लेकिन लोग पब्लिक मीटिंग्स में जा रहे थे, चुनाव के लिये तैयार थे और जब चुनाव होने वाला था तो एकदम उनकी आशंका पर पानी फेर दिया गया। मैं आज यह चेतावनी देना चाहता हूँ कि अब सरकार को समय लगेगा फिर से माहौल बनाने के लिये, फिर से चुनाव कराने के लिये। इसकी जिम्मेदारी सरकार को लेनी होगी कि यह ऐसा गलती उन्होंने की है जिससे पंजाब में चुनाव का एक बहुत अच्छा स्वर्ण अवसर उन्होंने खो दिया। आखिर ज्यादा देर तक आप इस तरह से नहीं कर सकते। मैं शासक दल को यह भी कहना चाहूँगा कि पंजाब को प्रयोगशाला न बनायें, यह एक्सपेरिमेंटल क्षेत्र हमने बनाया हुआ है सारे देश का चुनाव जीतना हो तो

पंजाब, दिल्ली में कुछ करना हो तो पंजाब और आनन्दपुर साहिब रिजोल्यूशन का कभी समर्थन, कभी उसका विरोध। आखिर यह क्या हो रहा है? पंजाब के बारे में कोई तो नीति होनी चाहिये। अभी तक सबसे बड़ा झूठ यह है कि जो मैं समझता हूँ, कभी यह है कि पंजाब के संबंध में हमारी कोई स्पष्ट नीति नहीं है, न हमने कभी कोई दृढ़ कदम उठाया है और न हमने कोई पंजाब की सतत् नीति अपनायी है। मैं पूछना चाहता हूँ कि आज केन्द्र में पंजाब के लिये कौन सा मिनिस्टर इंचार्ज है? आज तक पंजाब के लिये, कश्मीर के लिये विशेष परिस्थितियों के कारण कोई न कोई केन्द्रीय मिनिस्टर वहाँ का इंचार्ज रहा है। अभी तक न गृह मंत्री, न गृह राज्य मंत्री, न प्रधानमंत्री, किसी को भी पंजाब जाने की फुरसत नहीं मिली कि वे पंजाब जायें और वहाँ की परिस्थिति को देखें। महोदय, सबसे बड़ा नुकसान यह हुआ कि हमने जनरल मल्होत्रा को अपने हाथ से खो दिया। वे एक फौजी आदमी थे। यह भी अजीब बात है कि चुनाव पोस्टपोन करने की घोषणा हुई और गवर्नर से पूछा तक नहीं। गवर्नर ने जो बात कही है वह रिकार्ड में आनी चाहिये। उन्होंने कहा कि - "मैंने तीन लड़ाइयाँ लड़ी हैं

but I never felt so cheated and defeated."

अब अगर हमारे गवर्नर इस्तीफा देकर गये हैं सरकार को तो सरकार को उसके बारे में सोचना चाहिये। जनरल मल्होत्रा ने पंजाब की स्थिति को अच्छा संभाला था और वह चुनाव कराने की स्थिति में थे। अब नये गवर्नर साहब आये हैं, वे देखेंगे कि वहाँ क्या हालत है। उन्होंने सारे पंजाब की बागडोर संभाली है लेकिन अभी तक एक भी मीटिंग वह स्टेट एडवाइजरी काउंसिल की नहीं बुला सके जिसमें सभी पार्टियाँ आती हैं और अपनी राय देती हैं। इसकी एक भी मीटिंग नहीं हुई। मैंने इसके लिए तो यह सुझाव दिया है। मैं प्रधानमंत्री से मिला हूँ और मैं गृह मंत्री जी से भी यह कहना

चाहता हूँ कि स्टेट एडवाइजरी काउंसिल की सलाह के बिना चुनाव स्थगित नहीं होने चाहिये थे और अभी भी अगर पंजाब की स्थिति को स्टडी करना है तो वहाँ जाकर गृह मंत्री को या प्रधान मंत्री को स्टेट एडवाइजरी काउंसिल की मीटिंग को अड्रेस करना चाहिये। उन्हें पंजाब के लोगों के दिलों में विश्वास पैदा करना चाहिये। वहाँ के लोगों को लगत है कि हमारी सरकार ने पंजाब को राइट-आफ कर दिया है और वह उस लिये कोई नीति बनने के लिये तैयार नहीं है। यह बड़े दुर्भाग्य की स्थिति है। इसलिये मैं कहना चाहता हूँ कि जब हम कानून लाते हैं तो लगता है कि कानून लाने की गंभीरता हमारे मन में नहीं है। मुझे याद आता है 1986 में इसी सदन में संविधान की धारा 249 के अन्तर्गत सुरक्षा पट्टी लगाने का कानून हमने पास किया और उस समय कहा कि सिक्किम बड़ी गेब है, एक भी दिन अगर देरी की तो पता नहीं क्या हो जायेगा। लेकिन वह प्रस्ताव अभी तक वहाँ का वहीं पड़ा हुआ है। उसका इंप्लीमेंटेशन नहीं हुआ है। वह सुरक्षा पट्टी जो वहाँ बननी है, अभी नहीं बनो। आप यह भी नहीं बता सकते कि कितने किलोमीटर पर फीसिंग हुई है, फलड लाईट्स लगी हैं। यह बात वर्षों से चल रही है, लेकिन वह कंपलीट कब होगा? कम से कम आप इतना तो बता दें कि फीसिंग और फलड लाईट्स लगाने का काम आप कब कंपलीट करेंगे।

उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूँ कि सरकार ने अभी तक पाकिस्तान के बारे में कोई दृढ़ नीति नहीं अपनाई है। हम लगातार बातें करते जा रहे हैं। वे एक्शन करते जा रहे हैं। हम बातें करते जा रहे हैं। एक्शन का जवाब एक्शन से देना पड़ेगा। एक्शन का जवाब बातों से कभी नहीं दिया जाता और एक कहावत भी है कि बातों के भूत बातों से नहीं मारते। पाकिस्तान जिस भाषा को सभ्य सकता है, उसको उसी भाषा में जवाब देना

होगा ताकि वह हमारे आंतरिक मामलों में दखल न दे।

महोदय, दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूँ कि आतंकवादियों के बारे में सरकार का रवैया दृढ़ होना चाहिये और मैं सभी राजनीतिक दलों से यह कहना चाहता हूँ कि आतंकवादियों से सहानुभूति दिखाना, यह बहुत बड़ा अपराध है। आतंकवादी इस समय क्या नहीं कर रहे हैं? उन्होंने तो सारी बातों का अपराधीकरण कर दिया है और व्यापारीकरण कर दिया है। वह अपराध करते हैं और पैसा बनाते हैं और किसी को नहीं छोड़ते हैं। उनके लिये कोई सिक्ख का और दूसरे धर्म का व्यक्ति क्या? क्या हमारी गैरत इतनी मर गई है कि इसके बावजूद भी हम केवल अपने राजनीतिक उद्देश्यों के लिये बोलते रहेंगे। आतंकवादियों के साथ पुलिस वालों के फेक एनकाउंटर्स होते हैं लेकिन मैं चाहता हूँ कि सारा राष्ट्र एकमत होकर कहे कि निर्दोष लोगों की हत्या नहीं होनी चाहिये। जो निर्दोष लोग मारे जाते हैं उनके बारे में एक शब्द भी नहीं कहा जाता है। फेक एनकाउंटर्स की रट बार-बार लगाई जा रही है। इसका मतलब यह है कि आप आतंकवादियों को प्रोत्साहन देना चाहते हैं। यह गलत तरीका है। तीसरी बात यह है कि राष्ट्रवादी दलों को विश्वास में लेकर पंजाब के बारे में कोई नीति बनानी चाहिए। ऐसा न हो कि आप यह घोषणा करते रहें कि हम तो आतंकवादियों से बात करने के लिए तैयार हैं अगर वह हिंसा का रास्ता छोड़ दें तो। आप उनसे रोज अपील करते हैं लेकिन राजनीतिक दलों से आप अपील नहीं करते। आपकी नीति का यह नतीजा है कि वहाँ अकालियों के जो राजनीतिक दल थे वे करीब-करीब समाप्त हो गए हैं और आतंकवादी उन पर छाए हुए हैं और आप पर भी बही छाए हुए हैं। तो मैं चाहता हूँ कि अकालियों में जो राष्ट्रवादी तत्व हैं उनके प्रति हम लोगों को नरम रवैया अपनाना चाहिए और जो आतंकवादी हैं उनके प्रति सख्ती करनी चाहिए। पाकिस्तान के प्रति सख्त कदम उठाने चाहिए। जब

[श्री कृष्ण लाल शर्मा]

तक राजनीतिक इच्छा शक्ति जागृत नहीं होगी, पोलिटिकल विल नहीं होगी, न कोई कानून चलेगा, न पंजाब में चुनाव होंगे। There is lack of political will. हम-मंझधार में खड़े हैं और रोज रोज फोड़े बदलते हैं। कभी कहते हैं चुनाव करवायेंगे, बरनाला को ले आयेंगे, फिर उनको हटायेगे आनन्दपुर प्रस्ताव का कभी समर्थन करेंगे, कभी विरोध तो क्या चाहते हैं आप? कम से कम यह तो स्पष्ट करें। यह स्पष्ट करने के लिए राजनीतिक इच्छा शक्ति की आवश्यकता है।

दूसरी बात यह है कि हमको एक राष्ट्रीय सहमति, एक नेशनल कंसेंस तैयार करनी चाहिए। इसके साथ ही साथ आज पंजाब में नेशनल ऐक्शन की जरूरत है। सभी राजनीतिक दल मिलकर एक फैसला करें। सरकार उन सब को विश्वास में लेकर एक नेशनल ऐक्शन, राष्ट्रीय कार्यवाही का ऐंशन करे और उसके लिए सब लोग सहयोग दें क्योंकि अब पंजाब की समस्या, काश्मीर की समस्या, असम की समस्या दलगत राजनीति ऊपर चली गई है। इसके लिए राष्ट्रीय सहमति और राष्ट्रीय कार्यवाही की आवश्यकता है। मैं फिर चाहूंगा कि ये जो चुनाव स्थगित किए गए हैं यह बहुत बड़ी गलती की गई है। चुनाव होने चाहिए थे। अभी भी मैं चाहता हूँ कि चुनाव जल्दी से जल्दी करवाये जायें। जितनी देर आप करेंगे, पंजाब की समस्या और बिगड़ती चली जाएगी और उसे संभालना फिर और मुश्किल होगा।

इन शब्दों के साथ मैं चाहूंगा कि सरकार इन सारी चीजों के बारे में गंभीरता से विचार करे। वहाँ के लिए कानून इस तरह से बनाए जिससे पंजाब के लोगों में और देश के लोगों में यह विश्वास पैदा हो कि हम सचमुच गंभीरता से पंजाब की समस्या को हल करना चाहते हैं, हम चुनाव कराना चाहते हैं।

इन शब्दों के साथ, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे समय दिया।

उपसभाध्यक्ष (प्रो० चन्द्रेश पी० ठाकुर): श्री सत्य प्रकाश मालवीय। मालवीय जी, सब लोग चाहते हैं कि इसको जल्दी से जल्दी खत्म किया जाए। इसका आप ध्यान रखें।

SHRI K. VIJAYA BHASKARA REDDY: Sir, how long will it take?

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. CHANDRESH P. THAKUR): Let us see how long it takes. Yes, Mr. Malaviya, you know the Congress side has withdrawn all its speakers and I request a corresponding gesture from other parties also. As you know we have other items on the agenda.

श्री सत्य प्रकाश मालवीय: माननीय उपसभाध्यक्ष जी, पंजाब में एक ओर तो आतंकवादियों से लोग त्रस्त हैं, दूसरी ओर वहाँ की जो पुलिस है, वहाँ के जो पुलिस के अधिकारी हैं, उनसे लोग त्रस्त हैं और तीसरी ओर केन्द्रीय सरकार पंजाब का घोषित चुनाव टालकर उसके लिए कानून लेकर एक बहुत ही जघन्य अपराध कर रही है क्योंकि लोकतंत्र में लोकप्रिय सरकार होनी चाहिए और लोगों के द्वारा चुने हुए जन प्रतिनिधि विधान सभा में होने चाहिए। 19 अप्रैल को पंजाब की 123 विधान सभा और 13 लोक सभा की सीटों के चुनाव के संबंध में राष्ट्रपति तथा राज्यपाल ने विज्ञप्ति प्रकाशित की थी और यह तय हुआ था कि 22 जून को चुनाव कराये जायें और जैसा कि मेरे मित्र कृष्णलाल शर्मा जी ने कहा था सारी तैयारी पूरी हो चुकी थी, चुनाव आयोग ने भी मतदान की तिथि निश्चित की थी और कहा था कि निश्चित तारीख को चुनाव होंगे। राज्यपाल ने टेलिविजन पर और रेडियो पर प्रसारण किया और कहा कि पंजाब के लोगों को भ्रम रहित वातावरण में वोट देने का अधिकार 22 तारीख को मिलेगा। लेकिन इस बीच में केन्द्र में सत्ता परिवर्तन हो गया। केन्द्र में सत्ता परिवर्तन होने के बाद

कांग्रेस पार्टी की सरकार आ गई और चुनाव आयोग चुनाव की तारीख बदलने के लिए उक्त दो तथ्यों से प्रभावित हुआ। उन्होंने चुनाव टालने के लिए यानी जो चुनाव की तारीख थी उसके ठीक 29 घंटे पहले यह काम किया। उन्होंने यह भी नहीं समझा कि कम से कम पंजाब के राज्यपाल से सलाह ले लेते। फैसले की घोषणा करने के पहले कम से कम पंजाब के राज्यपाल से बातचीत कर लेते। पंजाब के राज्यपाल को तीन बजे सुबह जगाया जाता है यह सूचना देने के लिए कि 22 जून को जो चुनाव होने वाला है उसको टाल दिया गया है। इससे बढ़कर अलोकतान्त्रिक कार्य और कोई नहीं हो सकता। हमारे जो संविधान निर्माता थे उन्होंने जो जनप्रतिनिधित्व कानून 1950-51 बनाया था तो उन्होंने इस बात का कहीं प्रावधान नहीं किया था कि कभी कोई सरकार ऐसी आयेगी जो पूरे के पूरे चुनाव को रद्द करने के लिए कोई कानून लायेगी। लेकिन आज 42 साल में पहली बार ऐसा हो रहा है कि एक काला कानून इस सरकार ने सदन में लाकर पारित कराने का प्रयास किया है और इसीलिए मैं इसका विरोध करता हूँ। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी राज्यपाल ने केवल इस कारण से स्तीफा दिया हो कि चुनाव के सिलसिले में उससे परामर्श नहीं किया गया है। उनसे सलाह नहीं ली गई। लेकिन 42 साल के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि पंजाब के राज्यपाल जनरल ओ० पी० मलहोत्रा को अपने पद से चुनाव आयोग के फैसले के विरोध में त्याग पत्र देने के लिए बाध्य होना पड़ा। दो महीने तक पंजाब में यह सरकार राज्यपाल नियुक्त नहीं कर सकी। दो महीने बीत जाने के बाद अब राज्यपाल नियुक्त हुए हैं लेकिन आज की तारीख तक पंजाब के नये राज्यपाल अपना सलाहकार नियुक्त नहीं कर पाये हैं। यह हालत है आज पंजाब की, पंजाब के प्रशासन की। कानून बनाने के अधिकार का दुरुपयोग किया जा रहा है इसलिए दुरुपयोग किया जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी ने फैसला लिया था कि पंजाब के चुनाव का हम बहिष्कार करेंगे और कांग्रेस पार्टी के फैसले के अनुरूप एक

भी कांग्रेस के उम्मीदवार ने विधान सभा या लोक सभा में अपना नामांकन दाखिल नहीं किया। दुर्भाग्य से ही पंजाब में चुनाव टाले जा रहे हैं। इसके उद्देश्यों और कारणों के कथन में कहा गया है कि निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सुरक्षा के लिए दीर्घकालिक सुरक्षा प्रबंध करना अनिवार्य हो गया। इसके हिसाब से भी 30 सितम्बर तक चुनाव हो जाने चाहिए। यदि यह कानून आज पास नहीं होता तो जो पूर्व घोषणा चुनाव आयोग की है उस घोषणा के अनुसार 30 सितम्बर के पहले चुनाव की प्रक्रिया पूरी हो जानी चाहिए। जितने उम्मीदवार हैं उनको सुरक्षा मिली हुई है। आज तारीख हो चुकी है 17 सितम्बर सरकार बने ढाई-तीन महीने हो चुके हैं लेकिन कुछ नहीं किया और चुनाव टालने की बात कर रहे हैं। उद्देश्यों और कारणों को बताने में भी धोखाधड़ी कर रहे हैं, यह मेरा आरोप है। इसमें बताया गया है :

“इस कारण निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सुरक्षा के लिए दीर्घकालिक सुरक्षा प्रबंध करना अनिवार्य हो गया। अर्ध-सैनिक बलों को, जो पहले से ही अत्यधिक दबाव में हैं, क्योंकि उन्हें अन्य राज्यों में कठिन निर्वाचन कर्तव्य पूरा करने के पश्चात् उस राज्य में भेजा गया था, अभिनियोजित करके लंबी अवधि तक ऐसे प्रबंध करना अत्यंत कठिन होता जा रहा है।”

एक सप्ताह के अंदर चुनाव हो जाना चाहिए था लेकिन नहीं हो रहा है। उद्देश्यों और कारणों में जो कथन दिया गया है, वह कथन सत्य से परे हैं। केवल राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए यह किया जा रहा है।

एक बात और कहनी है। पंजाब में स्थिति यह है कि वहां पर पुलिस अपराध कर रही है। वहां पर सरकारी अधिकारियों की शरण में अपराध होता है। झूठे मुकदमों में फंसा कर रुपया वसूला जाता है।

उपसभाध्यक्ष (प्रो० चन्द्रेश पी० ठाकुर) : यह आज ही हो रहा है ?

[श्री चन्द्रेश पी० ठाकुर]

जब आप सरकार में थे, तब क्या हो रहा था ?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय : आज भी हो रहा है, पहले भी हुआ है। मैं इस संबंध में आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता था कि कैप्टन अमरेन्द्र सिंह ने कल 16 सितम्बर को "हिन्दू" में लिखा है उन्होंने इस और ध्यान आकषिप्त किया है कि आज वहां पर बेरोजगारी है, वहां पर उद्योगों की कमी है। वहां पर सेक्योरिटी फोर्स क्या कर रही है, इस और भी ध्यान आकषिप्त किया है। उन्होंने कहा है —

"Security forces and the police in the State must work with greater restraint. Constables have been found to be part of the extortion gangs and indulging in various crimes, not to speak of police brutality. Official positions are also being used to secure large sums for release and protection of individuals by threatening to involve people in crimes they know nothing about. Curbing of such excesses by overhauling or revamping the police structure must be given priority."

इस सरकार को मेरा सुझाव है कि जो कैप्टन अमरेन्द्र सिंह ने सुझाव दिया है, जिसको मैंने पढ़ा है, स्टेट टेररिज्म से भी काम नहीं चलेगा। मैं आतंकवाद का विरोधी हूँ, मैं हिंसा का विरोधी हूँ। लेकिन राज्य हिंसा करे और राज्य आतंकवाद करे, यह भी इस देश में नहीं चल सकता। लोकतंत्र में विश्वास करने वाले लोग इस बात को कभी स्वीकार नहीं कर सकते हैं। इस लिए मेरा सुझाव है कि इस संबंध में सरकार को विशेष ध्यान देना चाहिए। जो निर्दोष लोग झूठे मुकद्दमों में फंसाये जाते हैं, जैसे हुंस्पाल जी पढ़ रहे थे, रोज अखबारों में समाचार आते हैं कि इतने लोग मारे गये जिनमें से इतने आतंकवादी थे और इतने नागरिक थे। जैसे कि आतंकवादियों को मारने का अधिकार भी पंजाब की सरकार को है। मैं आतंकवादियों की हत्या करने का अधिकार भी इस देश

की पुलिस को नहीं दे सकता। इसलिए हम लोग फर्जी मुठभेड़ का विरोध करते हैं, फर्जी मुठभेड़ आतंकवादियों के साथ हो या किसी व्यक्ति के साथ हो। जो आतंकवादी मारे जाते हैं या दूसरे लोग मारे जाते हैं उनके संबंध में किसी व्यक्ति को गिरफ्तार भी नहीं किया जाता है। आज पंजाब के प्रशासन की यह हालत है। इसलिए मैं दो-तीन सुझाव देना चाहता हूँ। एक भूल, केन्द्र सरकार ने तब की थी जब उसने 1984 में ब्ल्यू स्टार आपरेशन किया था। यह ब्ल्यू स्टार आपरेशन का केन्द्रीय सरकार का जघन्य अपराध था, बहुत बड़ी भूल थी। उसके पहले भी जब 1982 में एशियाड हुआ था.... (व्यवधान)

उपसभाध्यक्ष (श्री० चन्द्रेश पी० ठाकुर) : आप सुझाव दीजिये कि आगे क्या करें, यह तो पुरानी बात है।

SHRI SATYA PRAKASH MALA-VIYA: Why are you becoming impatient?

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. CHANDRESH P. THAKUR): Because the House wants your cooperation.

SHRI SATYA PRAKASH MALA-VIYA: I am going to give it. दूसरी घटना 1982 में हुई। आज स्थिति यह है कि सिखों को और सिख सम्प्रदाय को शक की निगाह से देखा जाता है। इसलिए मेरा सुझाव है कि सिख भी राष्ट्रभक्त हैं। सिखों ने इस देश में राष्ट्रीय आन्दोलन में और उसके पहले भी बहुत संघर्ष किया और बहुत हिंसा लियी। केवल इस कारण से सिख कोम को शक की दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। इसलिए सरकार को आज ही घोषणा करनी चाहिए कि 11 नवम्बर तक वहां पर राष्ट्रपति शासन है, तब तक वहां पर चुनाव करा देंगे और इसकी एक निश्चित तारीख घोषित करनी चाहिए। इन शब्दों के साथ यह जो विधेयक पेश किया गया है मैं इसका भी विरोध करता हूँ और इस सरकार को अधिकार भी नहीं देना चाहता

कि जो सरकारी खजाना है उसमें से सरकार को एक पैसा निकालने का अधिकार दिया जाय। अगर आज पंजाब में चुनाव हो जाते पंजाब में लोकप्रिय सरकार हो जाती, पंजाब में चुनी हुई विधान सभा और कौंसिल आफ मिनिस्टर्स होती तो यह अधिकार उनको होता। इन शब्दों के साथ मैं इसका विरोध करता हूँ और आशा करता हूँ कि अब भी सरकार में सद्बुद्धि आये और वह इस विधेयक को वापस ले ले।

THE VICE-CHAIRMAN (PROF-CHANDRESH P. THAKUR): Mr. Raju, How many minutes?

SHRI J. S. RAJU (Tamil Nadu): I am the only Member speaking from D.M.K.

THE VICE-CHAIRMAN (PROF-CHANDRESH P. THAKUR): That I know. You can say precious things in a few sentences.

SHRI J. S. RAJU: Ten minutes.

THE VICE-CHAIRMAN (PROF-CHANDRESH P. THAKUR): Five minutes.

†SHRI J. S. RAJU (Tamil Nadu): Mr. Vice-Chairman, Sir, but for democracy we have nothing to take pride. We can't boast of nuclear capabilities or of a society sans poverty. We have nothing glorious except the precious democracy we have come to possess. But this very democracy was buried when election in Punjab was postponed. Without expressing regret for this shameful event the Members of the treasury benches are sitting upright here. Some time back you devalued Indian rupee and now, through this Bill, you have put an end to the democratic process of election in Punjab. Therefore, I charge you of having assaulted democracy. I would appeal to the Members of the ruling party to think whether at all it is democratic to first announce election, then postpone it and later cancel it altogether. In Tamil Nadu also,

†English translation of the original speech delivered in Tamil,

election to Local Bodies was first announced, only to be postponed abruptly. It is a matter of regret that the supporting parties emulate each other.

Let us recall, when election in Punjab was postponed? Poll date was drawing nearer, crores of rupees were spent, 500 Companies of Para Military forces were deployed, election officials were ready to conduct poll, Punjab Governor appealed to the people over radio to go and vote without fear and the people were happy to exercise their franchise after long time. It was at this point of time that election was postponed. Even the then Prime Minister came to know of postponement only through newspapers. I really feel sorry for him. Punjab Government and also the Governor did not know of the decision. Also the then Home Minister contesting from Punjab did not know. Punjab Governor Mr. Malhotra thought it fit to resign because of the shame inflicted upon by the Election Commission. But then, who took the decision to postpone election?

Sir, the Government said that the Election Commission took the decision on its own under the powers it derives from the Constitution. But we wonder whether the Chief Election Commissioner would have taken such a decision on his own. Because, even a few days prior to that, when some parties including Congress (I) asked for postponement of poll, the Chief Election Commissioner declared that election would be held according to schedule. There is a proverb in Tamil that,

Even if it rains cats and dogs

The drama shall go on and on.

So also the Chief Election Commissioner was rigid about holding election. But which is that all-powerful force that drove him to postpone poll? Every one is curious to know. I am compelled to think if it could be the President?

SHRI M. VINCENT (Tamil Nadu): Mr. Vice-Chairman, Sir, he accuses me President of having advised to postpone

[Shri M. Vincent]

poll. He attributes motives to the President. President of India should not be insinuated.

SHRI J. S. RAJU: These are our doubts coming from the bottom of our heart, why should I hide? What is the reason?

SHRI M. VINCENT: Conduct of the President cannot be discussed in this House.

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. CHANDRESH P. THAKUR): Whatever you ideas, but the convention of the House is that the President should not be discussed here.

SHRI M. VINCENT: The President of India is the first citizen of India. He is the father of this country. The DMK has no respect for the country or the leaders.

SHRI J. S. RAJU: Some days before also the activities of the President were discussed here when he refused to meet the delegation of SC, ST MPs.

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. CHANDRESH P. THAKUR): If somebody has committed a mistake you should not follow it.

SHRI J. S. RAJU: Of course, I know, Sir.

SHRI M. VINCENT: It is an insult to the nation. D.M.K. people have been indulging in abetting secessionism, insulting leaders and instigating others to insulting leaders and instigating others to kill leaders. Therefore, all these charges of D.M.K. against the President should not go on record.

SHRI N. E. BALARAM (Kerala): He is criticising the DMK and Mr. Raju is saying about AIADMK.

SHRI J. S. RAJU: It is not our intention to attribute motives to the President. Some major decisions were taken by him

when the care-taker Government was in power. That is why I am presenting some facts.

Sir, it was decided to postpone poll only after seeing the pre-poll analysis and ascertaining through poll forecast as to who would become the Prime Minister. From the beginning, Rashtrapati Bhawan did not like the idea of poll in Punjab. It is learnt that the recommendation of the Government regarding poll was sent back by Rashtrapati Bhawan. It was thought that Congress would not win if election was held; Rashtrapati Bhawan concurred with this view and the Election Commission postponed poll obediently. This is what the people all over the country believe. Sir, when President asked the Government to postpone election, the then Prime Minister said:

"When it was suggested to me that I should order postponement, I told the President that such decision would be worse than the Operation Blue Star of 1984."

The Indian Express goes on to say that,

"P.M. went to the extent of advising the President that if he was so keen on postponement he should invite Mr. Narasimha Rao to be sworn as the Prime Minister immediately and then let him do the job."

Meanwhile, Mr. Narasimha Rao meets the then Law Minister, Mr. Subramaniam Swamy and asks him to postpone poll. Then comes the announcement. The shocked Chandrashekar contacts Seshan and Seshan tells, he shall meet the P.M. soon. But he never met him. Sir, we have difference of opinion with Chandrashekar and Subramaniam Swamy. But they were in the Government at that time. Though it was a caretaker Government Chandrashekar was the Prime Minister and yet he was ignored. Like the flash of lightening came the announcement. I ask, whether it is democracy or autocracy?

Sir, right from the beginning, we had been calling Chandrashekar Government, a 'benami-Government'. He was too quick

to prove it by appointing Sesaan as the Chief Election Commissioner who, in turn, taught a good lesson to Shekar.

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. CHANDRESH P. THAKUR): Five minutes are over.

SHRI J. S. RAJU: Yes, just one more minute, Sir.

This Bill is silent on many issues. When terrorism will end and peace return to Punjab? When are you going to hold election? When the tides will recede and when are you going to swim? The Bill does not answer. But I wish to say very assertively that democratic process only can bring peace to Punjab. The problems of Punjab cannot be solved by military power. You have to install an elected Government there, if you are sincere to see a peaceful Punjab. Therefore, election should be held at an early date. As I conclude, I urge upon the Government to pay compensation to the candidates who had filed their nominations for they would have spent a lot of money. I also demand an apology from the Government to the people of Punjab for these misadventures.

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. CHANDRESH P. THAKUR): Mr. Balaram I am calling you earlier; you also please restrict yourself to three minutes. It is good for health also not to speak longer.

SHRI MENTAY PADMANABHAM: Whose health?

SHRI N.E. BALARAM: Thank you. I am grateful to you. Our Government has been debating this issue of Punjab for so long; we have also discussed in every session of the House; it has been discussed in every State; everywhere people are discussing this issue. We have discussed it repeatedly here but we have come back to square one. Where do we stand now, I don't know. What is going to be the solution to this problem? I am thoroughly disappointed by the attitude of the Government. On Punjab budget, I will say a few words later. Now I speak first

about the cancellation of election in Punjab. Sir, it is a very surprising piece of legislation. Cancelling election in the country is so surprising when we call ourselves a democratic country, and we are now thinking of cancelling elections. Elections were scheduled to take place on 25th September. What is the reason of postponing or cancelling the elections? Government could not give a convincing answer. The Minister said that elections shall be held when proper arrangements can be made. This is what he has said in the last sentence, "elections shall be held as soon as proper arrangements are made." Why didn't you make proper arrangements before 25th September? The Congress came to power a week before the scheduled date of the election. They had enough time. There were no elections going on anywhere in the country. The Government could have sent more paramilitary forces to that State to give proper protection to the candidates. So, you are not conducting the elections there not because you could not make the arrangements. There were other reasons. I know the reasons. I do not want to go into it. It was cancelled because of political reasons. You cancelled the elections in Punjab to be held on 27th of September purely on account of other reasons which you have not mentioned here. The whole issue was discussed by many of my friends here. I would like to ask a few questions. I don't want to go into the past. But I want to know, why didn't you want to participate in the elections in Punjab? I do not know what is the attitude of the Congress Party towards Punjab elections. Nobody can say. Even the President of the party cannot say.

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. CHANDRESH P. THAKUR): You are speaking for the Congress Party or for your own party?

SHRI N. E. BALARAM: I am asking that party about its present attitude.

SHRI MENTAY PADMANABHAM: He is asking the Government.

SHRI SATYA PRAKASH MALAVIYA: Why don't you ask the spokesman of the Congress Party?

SHRI N. E. BALARAM: I want to ask the Government as to why it changed its attitude. Just four months back, we were all sitting together in my party office in Punjab. That old man is not here. I have forgotten his name. He was there. They were prepared to participate in the elections in Punjab provided it was delinked from the General Elections. Two weeks later, we found that the Congress Party boycotted the elections. Already the names of 30 to 40 of our candidates have been filed. My first question is, why have you not spelled out the real reasons. But I know the reasons. I want to know the attitude of the Congress Party towards elections in Punjab. Connected with that, I have got another question. The term of President's rule is going to expire by 11th November. I do not know whether the Law Minister or the Home Minister will come again to the House seeking further extension of President's rule in Punjab. We are not very clear about that. Without getting clarifications on these issues, how do you expect us to support this Bill to cancel the elections in Punjab? I cannot support that. I am very sorry to say that. It is a most undemocratic piece of legislation. He himself was hesitatingly introducing the Bill. I was listening. His democratic conscience did not permit him to do that. He said that this is only a one-time measure. How can we be sure of that?

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. CHANDRESH P. THAKUR): Unless the second time comes, this is a one-time measure.

SHRI N.K.P. SALVE (Maharashtra): I agree that cancellation of elections in a State is an undemocratic process. I agree. But the heart of democracy is free, fair and impartial elections. Is that possible in Punjab.

SHRI N. E. BALARAM: I will come to that.

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. CHANDRESH P. THAKUR): Mr. Balam, please conclude.

SHRI N. E. BALARAM: In Maharashtra, you cannot conduct elections as peacefully and fairly as in Kerala. Does it mean that you can cancel the elections in Maharashtra? (Interruptions) I challenge you. (Interruptions) Now where in India, except in Kerala, you can conduct elections peacefully and fairly. (Interruptions).

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. CHANDRESH P. THAKUR): Mr. Balam, you are derailing the whole discussion. We are discussing neither Maharashtra nor Kerala. It is Punjab. I am calling the next speaker. You have lost interest in Punjab. I am calling the next speaker.

SHRI N. E. BALARAM: I am sorry. You are in the Chair. What can I do?

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. CHANDRESH P. THAKUR): You are violating our agreement.

SHRI N. E. BALARAM: He got up.

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. CHANDRESH P. THAKUR): Why do you respond to that?

SHRI N. E. BALARAM: My point is, elections could have been held. But now, what can we do? However, I would like to ask the Minister. Can he tell the House whether there is any possibility of conducting elections in Punjab before November 7? This is the last day when President's rule is going to end in Punjab. Can he say something in regard to this? Can he give some assurance in this regard? I am asking this question because it is also a question of satisfying the public opinion in Punjab. A large number of people there, a majority of the people there, want elections. Many candidates have filed their nominations. They want the democratic process to take place there. Therefore, you should tell them

that you are going to hold elections at such and such time. This is very essential. This is one thing.

I now come to the Budget. I will not take much time. I will mention only one point. I tried to understand the Budget. But it is very disappointing. One of the big problems in Punjab—other problems have been mentioned by my friends here—is the problem of unemployment of the educated youth. I looked into the Budget. But there is no scheme given there. This is the biggest problem they are facing. It is these educated, unemployed, youth the terrorists are recruiting. This is what they are doing. But no effort is made to find a solution to this problem. What is effort is required is the will to do it. So many things can be done provided we have the will to do it. So many things could have been done, without any difficulty.

Even now, we are not thinking of proper solution to the Punjab problem. Nobody is paying attention to it. That is why we are again back to square one. Unless we start thinking on the implementation of that promises we made to the people of Punjab, unless we implement the decisions we agreed to, the points we agreed to, we cannot solve the problem of Punjab. Therefore, my request is, the ruling party should adopt a more serious attitude towards the problem of Punjab. I do not see that attitude at all. I am sorry to say that. They should adopt a more serious attitude. They are not prepared to tackle the problem in a basic way. They are only adopting a piecemeal approach. When elections could not be held, postpone them or cancel them. Things like that. This sort of attitude cannot solve the problems. We should go back to the original position and implement the Rajiv-Longowal Accord. Many Members have said about that. The question is, what is standing in your way of implementing the Rajiv-Longowal Accord? Nothing is standing in your way. It could have been done. If you do that thing, slowly, we can create a better atmosphere. You can attract a large number of people and you can mobilise public opinion. What is hap-

pening now. During the last three-four years, three Panthic Committees are operating there. Each Panthic Committee has five or six terrorists on it. They are killing each other. They are killing people. They are looting people. They are extorting money. Everything is going on. I do not know how we are going to solve the problem. The present attitude of the Government is not going to solve the problem.

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. CHANDRESH P. THAKUR): We want to have the voting at 3 o'clock if you cooperate.

SHRI MENTAY PADMANABHAM: Shri Upendra has come. You may kindly give him a chance to speak.

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. CHANDRESH P. THAKUR): I have 6 names here and roughly ten minutes more. Will you all cooperate?

Mr. Upendra, your name was coming earlier. The understanding with the leader of your party was that you will take half the time allotted to your party in order to get you a chance to speak. Other wise, you would have lost your chance. So, Mr. Upendra now.

SHRI DINESHBHAI TRIVEDI (Gujarat): I want one technical clarification. Are we also cancelling the Budget and the Appropriation Bill of Punjab? Are we doing that?

SHRI N.K.P. SALVE: How can we do that?

SHRI DINESHBHAI TRIVEDI: When I was coming through the Lobby, I looked at the T.V. monitor. It read like this, "Cancellation of General Elections in Punjab, its Budget and Appropriation Bill." I hope we are not cancelling.

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. CHANDRESH P. THAKUR): No, no, it is 'consideration'.

SHRI P. UPENDRA (Andhra Pradesh): Mr. Vice-Chairman, the cancellation or postponement of elections at the fag end, almost a few hours before the

SHRI P. UPENDRA: The rest are all responsible—the entire Government, the

Home Ministry, the Prime Minister—and everybody has to take the responsibility.

I want to tell the honourable Minister, to set a specific date for holding the elections, first give an assurance that elections will be held on such and such dates, positively, without any conditions there. There can't be any worse conditions than those in many parts of the country, and I think the people of Punjab want elections to be held. It could have passed off very peacefully, if there had been no postponement. Of course, unfortunately, some candidates were killed. But that does not mean that people were not ready for elections. Therefore, I request the Minister at least to give an assurance on behalf of the Government that elections will be held in spite of extension of the President's Rule there again. I think the Bill is coming again, I don't know, but, at least by January, February—whatever it is—elections must be held there and the dates must be announced. Thank you.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI CHANDRESH P. THAKUR): Dr. Nagen Saikia... Not there. Kumari Chandrika Kenia... Not there. Prof. Sourendra Bhattacharjee. How many minutes? Two minutes?

SHRI V. NARAYANASAMY: Three minutes.

SHRI SHABBIR AHMAD SALARIA (Jammu and Kashmir): Two minutes may be taken for introduction alone.

PROF. SAURIN BHATTACHARYA (West Bengal): In the bargaining alone more than two minutes will go. Let me not do that.

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. CHANDRESH P. THAKUR): You are a fellow Professor!

PROF. SAURIN BHATTACHARYA: Sir, as I was going through the Bill, it seemed to be a strange sort of beat: A new Bill cancels the Order made under the Representation of the People Act. The Representation of the People Act is not

amended to enable the appropriate authority to cancel the elections. So, that way, henceforth, really elections and other aspects of representation of the people will be governed on the one side by the Representation of the People Act and, on the other, by this Cancellation of Elections in Punjab Bill, 1991, if it is passed by this House and enacted. This is a really very untenable position.

Secondly, when the Bill was going to be introduced, Mr. Kamal Morarka raised the point regarding—he, perhaps, did not use that term—"the untrue statement" made in describing the objects and reasons of the Bill wherein it has been stated, "In view of the very dangerous prevailing...", etc., etc. But what were the facts? A new Government was coming into being, the Prime Minister was to be sworn in the next day, but on the midnight the Chief Election Commissioner—regarding whom the question of impeachment stands—met the prospective Prime Minister and thereafter announced postponement of the elections on a specious plea. Later on the Prime Minister did not deny the meeting. He only said, "I do not know why he just postponed the election." It was in consultation with the prospective Prime Minister that the Chief Election Commissioner enacted this coup, so to say. So, this is one aspect of the matter.

3.00 p.m.

The other is: can elections in Punjab be postponed *ad infinitum*? Then make an amendment of the Constitution and say that Punjab will be perpetually under President's rule. Mr. Upendra put it in a different manner. I don't think that anybody can hijack Punjab from India. If Khalistanis win elections and declare independence of Punjab, it is very much within the power of the Central Government to take remedial measures. Therefore, what is the fear in that?

I was telling somebody, it is an old saying that a good government is no substitute for self-government, and that thing should be kept in view in deciding what we intend about Punjab.

Mr. Upendra wanted an assurance from the Government. Yesterday I asked jokingly whether elections to Punjab would

[Prof. Saurin Bhattacharya]

be held by 2000 AD. The Home Minister and Leader of the House was there. He tried to reassure me, "We won't take that long." But how long, who knows?

Thank you very much, Mr. Vice-Chairman.

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. CHANDRESH P. THAKUR): Mr. David Ledger. The same principle applies to you also.

SHRI DAVID LEDGER (Assam): Sure. I will be very brief.

Sir, for the last four years we have been having Bills in one form or another either seeking extension of President's rule in Punjab or cancellation of elections in that State to perpetuate the deprivation of the democratic rights of the people of Punjab.

Sir, the State has been under President's rule for the last four years. So, the question that obviously arises is, during these four years of President's rule whether the situation has improved, whether the killings have stopped, whether President's rule has been able to guarantee the minimum security and safety to the citizens. These are the questions which obviously arise, and the answers are obviously in the negative.

Sir, in the last four years, I am constrained to say that every government has committed the same mistake. Every government is guilty of the same indiscretion. There has been a promise to hold polls in Punjab. The dates were fixed, and at the end they were postponed. The Bill has been brought before the House seeking extension of President's rule.

I would like to say that we, the Members of Parliament, are equally guilty of the same indiscretion. We have to be prepared to share this part of our guilt also. We have debated the Bills. If we have been on the Opposition side, we have criticised the Government. If we have been on the ruling side, we have justified the Bills. But at the end, all of us have voted for the Bills. This is what we have done. The net result of this is that there is total chaos in the State today.

I would ask only one question to myself and to ourselves. Have we ever pondered whether by denying elections to the people of Punjab we have pushed that State to the brink of alienation? Have we ever pondered over the fact that by denying elections to the people of Punjab we have only accentuated the process of alienation among the people? Have we ever thought of the plight of the common man who is in no way connected with militancy or terrorism there, who has never challenged, who has never been hostile to the Indian State, who cannot be connected with or involved in any manner in the militancy or terrorism? We have to ask ourselves this question, Sir.

Sir, as many of our friends have repeatedly said, elections were scheduled for 22nd, but there was a sudden announcement on the 21st morning. The Election Commission has given the ground that the situation in Punjab was not conducive for holding elections. We all know what the real reasons are. We all know that the decision of the Election Commission was prompted by the decision of the Congress (I) not to participate in the elections in Punjab. And what was the result? The decision of the Election Commission has only resulted in a sense of mistrust and alienation. May I say that the decisions of the Election Commission has only sent wrong signals to the people of Punjab and has also strengthened the hands of the militants.

Before I conclude, I would only like to say one thing that nobody today can deny that the situation in Punjab is grim. Only this morning there was a reference that 26 candidates had been killed. Nevertheless the political parties who have been willing to participate in the elections are still willing to participate in the elections and the people of Punjab have bravely come forward to participate in the democratic process. They deserve to be congratulated.

Another point which I would like to make therefore. I conclude is that there is no semblance of administration in Punjab. We have been hearing about the running battle between the IAS and the IPS Officers. We have been hearing stories that

IAS Officers have been taking strong exception to the Police Raj. There is a hostility between these two units of administration. As a result there is total lack of coordination and this is proving disastrous for the administration. I would only like to say that the need of the hour is to evolve a comprehensive policy on Punjab. Opposition parties should be taken into confidence. We cannot simply go on depriving the people of the State of their democratic rights, their right to duly elect a Government of their own. The Government should make serious efforts to hold elections in the State. The Election Commission should be advised to fix a date as early as possible and the Government should guarantee holding of an early election. One of the hon. Members has said just now that the political process should be revived in the immediate future. Let us not allow the situation in the State of Punjab to drift to a position of disaster and to a point of no-return.

With these words, before I conclude, I would like to put it on record that I am vehemently opposed to the Bill.

SHRI SHABBIR AHMAD SALARIA: We have been debating Punjab here a number of times. Presently we are debating the Budget as well as this Bill regarding the elections in Punjab together. Now, by postponement of the elections, as you know, the result has been that the democratic forces have been frustrated and a number of persons who had dared to be candidates had been killed. Apart from the monetary loss, which the people suffered, at the threshold of the day when the votes were to be cast, the election was called off. The reasons may be there for doing so, but the new Bill which has been brought forward, has not taken care of incorporating a provision to ensure that the type of people we fear would come and pass a resolution adverse to the security of the State would not come in. No such provision has been made in this Bill. There would have been some justification if the Government had taken care to provide that the new elections which will now be held will be held with such a method or with such provisions in the Act that people who are not loyal to the country and the Constitution of the coun-

try, do not come and file their forms. Therefore, I do not know without that provision how this Bill is a good Bill. But nevertheless, the fact remains that the major political party in a dispute with regard to holding of elections in Punjab in the circumstances that are prevalent there had not come forward and had boycotted the elections. Now, the role of the Election Commission is not above dispute. But now that the elections are to be held again and the entire process which had taken place earlier has to be undone, I would submit that the Government should make a provision that this process shall also not meet the same fate. Now, it is argued that if those who come ultimately pass a resolution adverse to the solidarity and integrity of the country we can take action against them, but it will have its fall-out. That is to say an international opinion can be formed against us. Much can be said. That should be avoided. But that cannot be avoided by this Bill with the type of Representation of the People Act which we have already got. With the Bill which the hon. Minister has brought, there is no safeguard against that. Unless he came with that, this would be no good.

Now, the question also arises, how long are we going to amend the Constitution and continue President's rule in Punjab. This has become rather ridiculous and the House has been always coming to the aid of the Government, from time to time. Now, at least the Government should feel sorry and should not come again. Thank you.

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. CHANDRESH P. THAKUR): Thank you. I think both the Ministers are going to reply. I hope the Ministers will also be brief.

SHRI K. VIJAYA BHASKARA REDDY: My colleague will reply to the Punjab Appropriation (Vote on Account) No. 2 Bill, 1991 and I will reply to the Cancellation of General Elections in Punjab Bill, 1991.

SHRI KAMAL MORARKA: What is this? It should be in order.

SHRI PARVATHANENI UPENDRA:
The reply should go in order.

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. CHANDRESH P. THAKUR): Mr. Minister the first item listed here is the Cancellation of General Election in Punjab Bill, 1991. So you have to reply to that Bill.

SHRI K. VIJAYA BHASKARA REDDY: Mr. Vice-Chairman, I thank all the hon. Members who have taken part in the discussion on this Bill. There is a broad understanding after I heard the speeches of the hon. Members that the situation that obtains in Punjab is not conducive for the elections.

SHRI JAGDISH PRASAD MATHUR:
Who said it?

SHRI VIJAYA BHASKARA
REDDY: That is my understanding...
(Interruptions)...

AN HON. MEMBER: It is his broad understanding.

SHRI JAGDISH PRASAD MATHUR: He has got a prepared speech. He cannot go beyond it.

SHRI K. VIJAYA BHASKARA REDDY: How can you say like that? Please have patience. You presume so many things. I did not disturb you at all.

It is unfortunate that some of the Members have accused the Congress party for cancelling the elections on the 20th June, 1991. I want the hon. Members to go back and recollect, how the election dates were announced and how many times they were postponed. When all the parties trying to get involved in the elections, our party had made it clear from the beginning that it should be separated from the other elections and only then we will take part in it. When our suggestion was not taken into account, naturally, our party did not take part. You cannot blame our party for it. We have been consistently demanding that it should be separated from the other elections.

The previous Government have postponed the elections twice. When the elections

were postponed for the third time, the Congress party was not responsible for it. It was done by the CFC. According to the information that he had and based on his conscience, he took a decision to postpone the elections. The Congress party is not responsible for it. If somebody has to take the responsibility, it is the party which was in power which should take the responsibility for having announced the dates for the elections without listening to the advice given by the major political parties. Whatever has happened has happened. We have to go for elections as soon as possible and whenever the atmosphere is clear. For that purpose, there are two or three ways of coming before the House. One is for amending the Constitution. Another is for amending the RP Act. But this Government feels that by amending the Constitution or the RP Act, we should not empower any officer or executive authority with such powers for, this may happen in future also. We thought that it should not happen again in future. That is why we resorted to the third method of bringing a separate Bill. This is a one-time thing. This will not happen again. And this is with reference to Punjab alone.

The Deputy Leader of the Opposition, who opened the debate, as many other hon. Members, has mentioned so many things that happened, starting from September 1st till 17th, today. He has mentioned how many deaths have taken place. It is a fact that these are happening. Is the atmosphere conducive now to hold elections there? That is a serious point to be taken into consideration. We have to decide over elections. We are not behind others in wishing to hold elections there. We want to do it. But before that, we want to create a conducive atmosphere and then go for elections. Sir, many hon. Members have been particular that a date should be announced. Most of the hon. Members who spoke have discussed the entire Punjab issue. We have discussed the issue so many times here. It is unfortunate that for years, it has been coming before this House. I hope this will be the last time and elections will be held very soon and the people of Punjab will be able to decide their issues on their own and join the mainstream.

Most other things discussed are not very important from the point of view of this Bill. The only point everybody has stressed is that we should announce a date immediately. I assure the hon. Members that this Government's policy is not to decide arbitrarily. We will take all the parties into confidence. This is a national issue. We will consult every party and take a decision about elections at the earliest. As things stand today, the atmosphere is not congenial for elections to be held. Hon. Members know about the number of deaths there. That should be stopped first. And we do not want to again drag on for a long time. We do want to go in for elections. We will take all parties into confidence and all of us can decide about the date also. I assure hon. Members that this Bill will provide an early date for elections. Therefore, I request all the hon. Members to support the Bill unanimously. Thank you.

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. CHANDRESH P. THAKUR): Mr. Shantaram Potdukhe. Now, we will have to have your reply.

SHRI SHANTARAM POTDUKHE: Sir, I have nothing more to add. My request to the hon. House is that the Bill be returned.

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. CHANDRESH P. THAKUR): The entire discussion is over. I shall now put the motion regarding the consideration of the Cancellation of General Elections in Punjab Bill, 1991, to vote.

The question is:

"That the Bill to cancel certain notifications calling for general elections in relation to the State of Punjab, as passed by the Lok Sabha, be taken into consideration."

The motion was adopted.

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. CHANDRESH P. THAKUR): We shall now take up clause-by clause consideration of the Bill.

Clause 2 (Cancellation of certain notification in relation to Punjab)

SHRI KRISHAN LAL SHARMA: Sir, I have an amendment.

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. CHANDRESH P. THAKUR): Are you pressing the amendment?

SHRI KRISHAN LAL SHARMA: I am pressing the amendment. I move:

"That at page 1, after line 17, the following be inserted, namely:—

'(c) security arrangements provided to the identified candidates for the said elections and to political activists shall continue till the date of receipt of nominations for fresh general elections in the State.'

The question was proposed.

श्री कृष्ण लाल शर्मा: मैं सिर्फ यह निवेदन करना चाहता हूँ कि यह बिल पास होने के बाद अगर आपने जो उम्मीदवार आर्गैडेटिफाई किए गए हैं उनकी सिव्को-रिटो बिड़डा कर ली तो उनके मरने की जिम्मेदारी सरकार की होगी। अगर आप यह जिम्मेदारी लेना चाहते हैं तो जो मर जायें करेंगे किन जब नक फ्रेश कंडिडेट आर्गैडेटिफाई नहीं किये जाते, इन्हीं पर मूसीबत रहेगी।

I want to press this amendment and I will like that this amendment should be taken up.

SHRI K. VIJAYA BHASKARA REDDY): Shall I respond, Sir? "

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. CHANDRESH P. THAKUR): Yes.

SHRI K. VIJAYA BHASKARA REDDY Sir, I have taken note of what the hon. Member said. I have consulted the Home Minister also. We are going to provide security for all these people. So, I request him to withdraw it.

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. CHANDRESH P. THAKUR): Mr. Sharma, in view of the assurance from the

[Prof. Chandresh P. Thakur]

Minister, are you still willing to press the amendment?

SHRI KRISHAN LAL SHARMA: Sir, in view of the assurance of the Minister, I withdraw my amendment.

The amendment was, by leave, withdrawn.

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. CHANDRESH P. THAKUR): Now, I shall put clause 2 to vote. The question is:

"That clause 2 stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 2 was added to the Bill.

Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

SHRI K. VIJAYA BHASKARA REDDY: Sir, I move:

"That the Bill be passed."

The question was proposed.

SHRI M. S. GURUPADASWAMY: I would like to have the assurance from the Minister whether he can announce a definite date for holding the elections in Punjab. You are aware that the entire Opposition is opposed to this Bill. But even at this stage, if you can give us the assurance that a date would be fixed immediately and if you announce that date give that assurance to the House, then we will be satisfied.

SHRI K. VIJAYA BHASKARA REDDY: Sir, I have already said that we are very particular to have the elections at the earliest (*Interruptions*). Just a minute, Please bear with me. This is a national issue. This is not a thing which we want to take up arbitrarily. We want to take all the parties into confidence, discuss this matter and then take a decision. I assure the hon. Member that we will take all the parties into consideration and after consulting them, we will decide. As you know, the situation in Punjab is not yet congenial. We have to improve it. We can all sit together, decide and take a decision.

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. CHANDRESH P. THAKUR): I think, the point is made that there is a sense of the House. Let me complete the point.

SHRI M. S. GURUPADASWAMY: Let me make my point.

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. CHANDRESH P. THAKUR): But who asked you to make a second comment?

SHRI GURUPADASWAMY: We are not satisfied with the reply given by the Minister. We wanted a definite answer about the date—whether he is prepared to announce the date—that is the question. (*Interruptions*). If he is not prepared to give the date, then we are walking out.

(At this stage, some hon. Members left the Chamber)

श्री जगदीश प्रसाद माथुर : श्रीमान्, मंत्री महोदय के उत्तर से बड़ी निराशा हुई है। उन्होंने दो बातें कही थीं। एक तो यह कि सारे दलों से सहमति की जाएगी लेकिन लगता है कि उनका सहमति का भाव पूरा नहीं हुआ नहीं तो उनको आज ही सहमति ले लेनी चाहिए थी। दूसरे उन्होंने आश्वासन नहीं दिया कि किस तारीख को चुनाव होगा....

उपसभाध्यक्ष (प्रो० चन्द्रेश पी० ठाकुर) : अब आप बैठ जाइए।....

श्री जगदीश प्रसाद माथुर : बैठेंगे क्यों, हम तो जाने वाले हैं। इसलिए मैं घोषणा करता हूँ कि मेरा दल इसका विरोध करता है और इसके विरोध में हम वाक आउट करते हैं।

(इस समय सदन की सदस्य सभा से उठकर चले गये)

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. CHANDRESH P. THAKUR): Anyway, the sense of the House is that the people of Punjab need a free and fair and perhaps early election. I am sure the Government will take that into consideration.

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI S. B. CHAVAN): Sir, we propose to announce tomorrow.

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. CHANDRESH P. THAKUR): That is very welcome. Now the question is:—

"That the Bill be 'passed'"

The motion was adopted

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. CHANDRESH P. THAKUR): Now the question is:—

"That the Bill to provide for the withdrawal of certain sums from and out of the Consolidated Fund of the State of Punjab for the services of a part of the financial year 1991-92, as passed by the Lok Sabha, be taken into consideration."

The motion was adopted

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. CHANDRESH P. THAKUR): We shall now take up clause-by-clause consideration of the Bill.

Clauses 2 and 3 and the Schedule were added to the Bill

Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill

SHRI SHANTARAM POTDUKHE: Sir, I beg to move:—

"That the Bill be returned."

The question was put and the motion was adopted

THE FINANCE (NO. 2) BILL, 1991

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. CHANDRESH P. THAKUR): Now we have to take up the Finance Bill.

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI MANMOHAN SINGH): Sir, I beg to move:—

"That the Bill to give effect to the financial proposals of the Central

Government for the financial year 1991-92, as passed by the Lok Sabha, be taken into consideration."

Sir, I had, in my Budget Speech on 24th July, 1991, explained the main features of the proposals contained in the Bill. The explanatory memorandum circulated to the hon. Members also contains the details of the specific provisions in the Bill. I do not, therefore, propose to traverse the same ground once again.

I feel gratified that the Budget has evoked a great deal of interest. During the general discussion on the Budget many useful suggestions with regard to some of the provisions contained in the Bill were made by the hon. Members from both the Houses. I have also received a large number of representations from members of the public, trade unions, chambers of commerce, voluntary organisations and professional bodies on the proposals in the Bill. I am grateful to all of them for giving us their valuable suggestions.

I would like to assure the hon. Members that we have given careful consideration to all points which have been made with reference to our proposals. Consequently, certain amendments to the Bill were moved in the Lok Sabha. These have been accepted and incorporated in the Bill as passed by the Lok Sabha. I seek the indulgence of the hon. Members to explain some of these amendments.

Taking up the provisions for direct taxes first, the proposal with regard to the tax concession for exporters under section 80HHC of the Income-tax Act has been modified to give further fillip to exports. Profit on sale of Exim scrips, receipts by way of duty drawback and payments under IPRS will now be treated as export profits in the proportion of the export turnover to the total turnover of the business. This, I am sure, will motivate greater export effort. Hon. Members will recall that I had proposed certain modifications in the scheme of tax concession for tourism industry, contained in Section 80HHB of the Income-tax Act. The modifications